

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.in

वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)



वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

विषय सूची

सूची	पृष्ठ सं.
सामान्य	
1.1 मिशन	6
1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और उसकी भूमिका	6-7
1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट	8-9
1.4 ऊर्जा के उपयोग के रूझान	10-11
1.5 उपलब्धियां	12
1.6 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं	12-25
1.7 विद्युत मंत्रालय की योजनाएं	26-40
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	
2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	44-49
2.2 बहुपक्षीय कार्यक्रम-जारी कार्यक्रम	49-54
ब्यूरो का लेखा	
3.1 पूंजीगत संरचना	56
3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश	56
3.3 ब्यूरो की कार्यशैली सुधारने अथवा सुदृढीकरण हेतु किए गए उपाय	56
3.4 लेखा का वार्षिक विवरण	56-91
प्रशासन	
4.1 शिकायत निवारण	94
4.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	94
4.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण	94
4.4 राजभाषा का कार्यान्वयन	95
4.5 सतर्कता	95
4.6 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	96



1

सामान्य

- 1.1 मिशन
- 1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और उसकी भूमिका
- 1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट
- 1.4 ऊर्जा के उपयोग के रुझान
- 1.5 उपलब्धियां
- 1.6 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं
- 1.7 विद्युत मंत्रालय की योजनाएं



1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्व विनियमन और बाजार के सिद्धांतों पर बल सहित भारतीय अर्थ व्यवस्था की ऊर्जा सघनता कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की समग्र रूपरेखा के अंदर नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को त्वरित और निरंतर रूप से अपनाया जाएगा।

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और उसकी भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को नीति रूपरेखा और निर्देशन प्रदान करना।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों के मापने, उनकी निगरानी और जांच करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहु-पक्षीय, द्वि-पक्षीय तथा निजी क्षेत्र का सहयोग लेना।
- पणधारकों की भागीदारी से ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों में समन्वय स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में परिकल्पित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनकी देखरेख करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निजी – सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता प्रदायगी तंत्र प्रदर्शन करना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ प्रबंधन करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र के कार्य निष्पादन पहुंच योग्य संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं को स्वीकार करता है, उनका पता लगाता है और उनका उपयोग करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में अर्ध विनियामक और संवर्धनात्मक कार्यों का उपबंध।

अर्ध विनियामक भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अर्ध विनियामक भूमिका निम्नलिखित के विकास हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों को समर्थन प्रदान करने की है:

- न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानदण्ड विकसित करना तथा उपकरण और यंत्रों के लिए डिजाइन की लेबलिंग करना।
- विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तैयार करना।
- निर्दिष्ट उपभोक्ताओं पर केन्द्रित गतिविधियां।
- ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा ऑडिटर्स का प्रमाणन।

- ऊर्जा ऑडिटर्स को प्रमाणन ।
- अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षणों की प्रक्रिया एवं आवधिकता निर्धारित करना ।
- ऊर्जा खपत रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करना तथा ऊर्जा ऑडिटर्स की सिफारिश पर कार्रवाई करना ।

संवर्धन भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रमुख संवर्धनात्मक भूमिकाएं हैं:

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना तथा जानकारी का प्रसार करना ।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसकी संरक्षण की तकनीकों में कार्मिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत बनाना ।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना ।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को तैयार करना और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना ।
- प्रायोगिक परियोजनाओं तथा प्रदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनका क्रियान्वयन सुचारू बनाना ।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरण, यंत्रों और प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ।
- ऊर्जा दक्ष उपकरण अथवा यंत्रों के इस्तेमाल के लिए प्रारंभिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना ।
- ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के अन्वेषणात्मक वित्तपोषण को बढ़ावा देना ।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना ।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना ।



1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट



ऊर्जा सतत विकास की कुंजी है। आजीविका और गतिशीलता को सक्षम बनाने तथा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें इसकी जरूरत है।

आज, भारत जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर है और हमारे ऊर्जा संसाधनों की काफी बड़ी मात्रा आयात की जाती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के साथ ही घरों, कार्यालयों, कारखानों और किसानों पर वित्तीय भार डालता है। ऐसे देश में जहां आबादी के एक बड़े भाग को अभी स्वच्छ ईंधन और बिजली प्राप्त करना बाकी है, ये दबाव और अधिक बढ़ेगा यदि हम सभी भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारना चाहेंगे। परिणामस्वरूप, ऊर्जा दक्षता (नवीकरणीय ऊर्जा सहित), आयात में कमी करने, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन का शमन करते हुए सभी को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने की राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यनीति का एक अनिवार्य घटक है। अधिकांश ऊर्जा दक्षता सुधारों के लागत प्रभावीकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि यह ऐसा निवेश है जो अधिक पूंजी लागत के बावजूद अल्प अवधि में बेहतर प्रतिफल प्रदान करता है।

2014-15 के दौरान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यकलाप मुख्यतया इसकी योजनाओं जिनके नाम राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई), मानक एवं लेबलिंग (एसएंडएल), एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम), कृषि एवं नगर मांग पक्ष प्रबंधन, बचत लैप योजना (बीएलवाई) एवं ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) के प्रचालनीकरण पर केंद्रित रहे। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता क्षेत्रों को शामिल करते हुए निरंतर विकास को बढ़ाना था। यह सब बढ़ती ऊर्जा लागतों, निवेश बाधाओं, और अंतिम उपयोक्ता को वहनीय ऊर्जा प्रदान करने की जरूरत के संदर्भ में किया गया।

इस वित्तीय वर्ष की कुछ प्रमुख उपलब्धियां यात्री कारों के लिए ईंधन खपत मानकों, रूम एयर कंडीशनरों (आरएसी) और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों के लिए संशोधित ऊर्जा मानकों की अधिसूचना थीं। तीन अन्य स्वैच्छिक उत्पादों यानी इलेक्ट्रिक गीजरो, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटरों और रंगीन टेलीविजन को भी अनिवार्य प्रणाली में लाने के प्रयास पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह परिवर्तन अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा। इन अनिवार्य योजनाओं के परिणामस्वरूप, उद्योग जगत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी जिससे आने वाले वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में काफी हद तक कमी आएगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएमईईईई योजना का जारी रहना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने, खास तौर से ऊर्जा प्रभावी उद्योग क्षेत्रों में, की हमारी कार्यनीति का एक प्रमुख घटक है। पीएटी योजना के कारगर कार्यान्वयन के लिए, सभी 8 पीएटी क्षेत्रों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप तथा सामान्यीकरण तत्व विकसित किए गए। पीएटी योजना को व्यापक और गहन बनाने के लिए, क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर समेकन को आरंभ किया गया।

पर्यवेक्षण समिति और वीसीएफईई ट्रस्ट के गठन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) तथा ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) का संस्थानीकरण ऊर्जा दक्षता के सफर में एक अन्य उपलब्धि रही है। ऐसा करके, सरकार ऊर्जा दक्षता के लिए वित्तीय बाजारों को गहन बना रही है; ये वित्तीय उपकरण ऋणदाताओं को पुनः विश्वास और निष्पादन अनुबंधों के लिए गारंटी प्रदान करेंगे। सुपर दक्ष उपकरण कार्यक्रम भी इस वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक रहा। सीलिंग फैन को योजना के अंतर्गत अंगीकृत किए जाने वाले पहले उपकरण के तौर पर चिन्हित किया गया है। सरकार ने सुपर दक्ष पंखों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की संस्तुति की है।

इस वर्ष के दौरान, ब्यूरो ने उच्च क्वालिटी के एलईडी बल्बों और स्ट्रीटलाइटों के थोक प्रापण के लिए विनिर्देशनों को भी अंतिम रूप दिया गया। इनका प्रापण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बीपीएल घरों में वितरण, और डीएसएम परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा जो एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा चलाई जा रही हैं।

ईईएसएल द्वारा थोक प्रापण के परिणामस्वरूप, एलईडी बल्बों की कीमतें नाटकीय रूप से घटी हैं। यह कीमत पहले 2010 में भारत में निर्मित एलईडी बल्बों की कीमत की पहले ही एक-चौथाई है, और उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ ही पुनः कीमतों में काफी कमी की संभावना दिखाई देती है।

यह वर्ष ऐसा रहा है जिसमें ईईएसएल ने अंततः शुरुआत की है। इसने पांडिचेरी में घरों में ऊपर वर्णित बल्बों के अतिरिक्त, हुबली में कृषि पम्प सेटों तथा नासिक और पांडिचेरी में स्ट्रीटलाइटों की बदली करते हुए पहले ही अनेक डीएसएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। इसकी परियोजनाओं की श्रृंखला 3000 करोड़ रुपए से अधिक की है और उपयुक्त व्यवसाय मॉडलों की प्रतीक्षा कर रहे ऊर्जा दक्षता के बड़े बाजारों को चित्रित करती है।

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का राष्ट्रीय रोलआउट उत्तराखंड, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा इसकी अधिसूचना सहित जारी रहा। पुनश्च, ईसीबीसी के प्रवर्तन को सक्षम बनाने के लिए, राज्यों ने बीईई से भवन ऊर्जा पेशेवरों को प्रत्यायित करने का अनुरोध किया है जो यह प्रमाणित कर सकें कि अनुमोदन हेतु नगरपालिकाओं को प्रस्तुत भवन डिजाइन ईसीबीसी का अनुपालन करते हैं।

वितरण कंपनियों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा सितंबर 2013 में अनुमोदित "मांग पक्ष प्रबंधन" के चार उप कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बीईई, डीएसएम प्रकोष्ठों के सृजन और डीएसएम कार्यक्रम तैयार करने, में लगभग 34 विद्युत वितरण कंपनियों को सहयोग करेगा जिनका कार्यान्वयन राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद किया जाता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन ईईएसएल द्वारा इस धारणा को सबल बनाने के लिए किया जा रहा है कि ऐसी डीएसएम परियोजनाएं अंतिम उपयोक्ता और विद्युत वितरण कंपनियों दोनों को ही लाभान्वित करेंगी।

कुल मिलाकर, इस वित्तीय वर्ष में बीईई ने मुख्यतः अपने मौजूदा कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के साथ ही देश के लिए नए ऊर्जा दक्षता मॉडलों को सशक्त बनाने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

अंत में, मैं इस अवसर पर ब्यूरो में अपने सहयोगियों की ऊर्जावान टीम को उनके पूर्ण समर्थन और सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, ऊर्जा सक्षम अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए मैं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा।




1.4 ऊर्जा के उपयोग के रुझान

प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और ऊर्जा गहनता:

वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (पीईसी) की गणना उस वर्ष के अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या से वर्ष के दौरान कुल ऊर्जा खपत के अनुमान के अनुपात से की जाती है। ऊर्जा गहनता को सकल घरेलू उत्पाद की एक इकाई (स्थिर मूल्यों पर) के उत्पादन में खपत की गई ऊर्जा की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। पीईसी और ऊर्जा गहनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले नीतिगत सूचक हैं। विभिन्न स्रोतों से, खास तौर से भारत सहित विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-परंपरागत ऊर्जा की खपत पर आंकड़ों के अभाव में, आम तौर पर परंपरागत ऊर्जा की खपत के आधार पर इन दो सूचकों की गणना की जाती है।

पेटा जूल्स में ऊर्जा खपत विद्युत के रूप में थी जो 2011-12 के दौरान कुल खपत का लगभग 57.57% थी। कोयला और लिग्नाइट दूसरे (19.91%) जबकि क्रूड पेट्रोलियम (18.75%) तीसरे स्थान पर रहे। परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत 2010-11 के दौरान 44,448 पेटा जूल्स से बढ़कर 2011-12 के दौरान, 6.33% की वृद्धि के साथ 47,264 पेटा जूल्स हो गई।

प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (पीईसी) (वर्ष के दौरान कुल ऊर्जा खपत के अनुमान से उस वर्ष की अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या का अनुपात) 1970-71 में 1,204.3 किलोवाट घंटा से बढ़कर 2011-12 में, 4.06% के सीएजीआर सहित, 6419.53 किलोवाट घंटा हो गई (तालिका 6.2)। 2010-11 से 2011-12 में पीईसी में वार्षिक वृद्धि 3.36% रही।



तालिका 6:2 भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (पीईसी) और ऊर्जा गहनता में रुझान

वर्ष	ऊर्जा खपत बिलियन कि.वा.घं. मे	मध्य वर्ष जनसंख्या '000 में	जीडीपी (करोड़ रु.) (1999-2000 के मूल्य)	प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (कि.वा.घं.)	ऊर्जा गहनता (कि.वा.घं.)* प्रति रुपए
1970-71	663.99	551311	517148	1204.39	0.1284
1975-76	840.53	617248	596428	1361.74	0.1409
1980-81	1012.58	688320	695361	1471.09	0.1456
1985-86	1477.50	766135	894041	1928.51	0.1653
1990-91	1902.75	852297	1193650	2232.50	0.1594
1995-96	2436.77	939540	1529453	2593.58	0.1593
2000-01	3154.28	1034931	2030710	3047.81	0.1553
2005-06	3909.37	1117734	2844942	3497.59	0.1374
2006-07	4226.78	1134023	3120029	3727.24	0.1355
2007-08	4508.26	1147677	3402716	3928.16	0.1325
2008-09**	6467.76	1161495	4154973	5568.48	0.1557
2009-10	7127.70	1175480	4464081	6063.65	0.1597
2010-11	7342.05	1182105	4877842	6211.00	0.1505
2011-12(p)	7689.40	1197813	5202514	6419.53	0.1478
2010-11 पर 2011-12 की प्रगति दर (%)	4.73	1.33	6.66	3.36	-1.80
सीएजीआर 1970-71 से 2011-12 (%)	6.01	1.86	5.65	4.06	0.34

* अनुमानित मूल्य तालिका 5.1 में दिए अनुसार कोयला, क्रूड पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत (जल एवं नाभिकीय) की स्रोत वार उपलब्धता पर आधारित तथा अनुलग्नक II में दिए अनुसार ईंधन विशिष्ट रूपांतरण कारकों को लागू करते हुए ऊर्जा गहनता = सकल घरेलू उत्पाद की एक इकाई के उत्पादन में खपत हुई ऊर्जा की मात्रा

** वर्ष 2008-09 से जीडीपी अनुमान 2004-05 को आधार वर्ष मानकर लिए गए हैं

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय



1.4.1 घरों में ऊर्जा उपयोग का नमूना:

नवीनतम दौर (एनएसएसओ 2010; 66वें दौर) के अनुसार, खाना पकाने के प्रयोजन से प्रति व्यक्ति लगभग 2.31 किलो एलपीजी की तुलना में ग्रामीण घरों में खाना पकाने में लगभग 29.50 किलो लकड़ी और चूरा की खपत होती है। घरों में खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा ईंधन प्राप्त करना एक चुनौती है। स्वच्छतर ईंधनों की प्राप्ति सीमित है और पारंपरिक बायोमास ईंधन का प्रयोग ग्रामीण घरों में अधिकता से होता है। घरेलू स्तर पर ऊर्जा की प्रमुख जरूरत को व्यापक तौर पर खाना पकाने और प्रकाश की जरूरतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रामीण घरों में, लगभग 76% घर खाना पकाने के ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब भी सर्वाधिक प्रदूषणकारी पारंपरिक बायोमास ईंधन पर निर्भर हैं। ग्रामीण घरों में खाना पकाने के स्वच्छतर ईंधनों जैसे एलपीजी की पहुंच काफी न्यून (लगभग 12%) है। इसकी तुलना में, लगभग 65% शहरी घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग होता है।

स्वच्छतर ऊर्जा स्रोतों यानी विद्युत तक पहुंच के संबंध में ग्रामीण और शहरी घरों के मध्य उल्लेखनीय अंतर है। केवल 65% ग्रामीण घरों में प्रकाश के प्रमुख स्रोत के रूप में विद्युत का प्रयोग दिखता है। तथापि, यह आंकड़े भी विद्युत तक पहुंच को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते क्योंकि निष्कर्ष निकालते समय अन्य कारकों जैसे आपूर्ति की निरंतरता पर भी विचार किया जाना जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में इसकी तुलना में, प्रकाश के प्रमुख स्रोत के रूप में 90% से अधिक घरों की विद्युत तक पहुंच है।

स्रोत: टीईआरआई (http://www.teriin.org/projects/nfa/pdf/Working_paper4.pdf)

1.5 उपलब्धियां

बीईई के कार्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से हासिल की गई बचत को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आंकड़ों एवं दस्तावेजों की समीक्षा की गई और विश्लेषण किया गया। विशेष रूप से, मानक एवं लेबलिंग योजना का जिसने 357.61 मेगा वाट के उत्पादन के बराबर 1832.61 एमयू की वार्षिक बिजली बचत करने में योगदान दिया। वर्ष 2014 के दौरान ऊर्जा संरक्षण अवार्ड ने भी उपेक्षित बिजली उत्पादन की 711 मेगावाट की बचत करने के लिए योगदान दिया।

1.6 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की योजनाएं

11वीं योजना अवधि के दौरान ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु और 2012–13 तक 5 प्रतिशत खपत (10,000 मेगावाट उपेक्षित क्षमता के समकक्ष) में कमी लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनेक लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं को आरंभ किया है:

- घरों में रोशनी
- वाणिज्यिक भवन
- उपकरण मानक और लेबलिंग
- नगर निगमों में मांग पक्ष प्रबंधन
- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन(एजीडीएसएम) योजना
- एसएमई योजना
- डिस्कॉम का क्षमता निर्माण
- एसडीए का क्षमता निर्माण
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)
- विविध

उपरोक्त क्षेत्रों को समाहित करने वाली इन पहल योजनाओं का सारांश निम्न प्रकार है:

1.6.1 बचत लैंप योजना

“बचत लैंप योजना” (बीएलवाई) योजना की परिकल्पना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान भारत में ऊर्जा सक्षम प्रकाश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य चमकदार बल्बों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंपों (सीएफएल), जो उसी स्तर का प्रकाश देने के लिए चमकदार लैंपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा के केवल 1/4 से 1/5 भाग की खपत करते हैं, को लाना था। सीएफएल के बाजार मूल्य तथा जिस कीमत पर वे घरों को वितरित किए जाते हैं के मध्य अंतर को पूरा करने के लिए, स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) का उपयोग किया जाता है। निवेशक अपने संबंधित क्षेत्रों में प्राप्त की गई ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन न्यूनता की बिक्री के माध्यम से परियोजना लागत को वसूल करता है। इस सीडीएम परियोजनाओं के लिए सीडीएम लघु स्तरीय प्रणाली एएमएस-II, जे को लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली के अंतर्गत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन न्यूनताओं का अनुमान लगाने के लिए 3.5 घंटे प्रति वितरित सीएफएल के स्थिर मूल्य के तौर पर सीएफएल उपयोग घंटों का आकलन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सीएफएल के एक बार अपनी आयु पूरी कर लेने या परियोजना अवधि के दौरान पहले ही खराब हो जाने पर निवेशक लागू पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार सीएफएल के संग्रहण तथा निपटान की व्यवस्था करेंगे।

वर्तमान स्थिति:

- बचत लैंप योजना सीडीएम गतिविधि कार्यक्रम (पीओए) को यूएनएफसीसीसी से 29 अप्रैल 2010 को पंजीकृत कराया गया।
- 50 सीडीएम परियोजना गतिविधियां (सीपीए) यानी आंध्र प्रदेश से 9 सीपीए, केरल से 20 सीपीए, कर्नाटक से 7 सीपीए, गोवा से 2 सीपीए, दिल्ली से 5 सीपीए तथा पंजाब से 7 सीपीए पंजीकृत पीओए में शामिल हैं।
- बचत लैंप योजना के अंतर्गत 29 मिलियन सीएफएल ग्यारहवीं योजना के दौरान वितरित की गई हैं।
- बचत लैंप योजना के अंतर्गत सीएफएल वितरण द्वारा 415 मेगावाट की वर्जित उत्पादन क्षमता हासिल की गई।
- पूर्ण परियोजनाओं के लिए कार्बन उत्सर्जन न्यूनता सीईआर जारी करने के लिए बीएलवाई पीओए की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ब्यूरो की निगरानी और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, अब तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) द्वारा कार्बन न्यूनता के टनों के समतुल्य, 20,00,120 प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनताएं (सीईआर) जारी की जा चुकी हैं।

बचत लैंप योजना की सीमाएं:

सीईआर के 8 यूरो के आधार मूल्य के तौर पर इस योजना को डिजाइन किया गया था। तथापि अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं से संबंधित अनिश्चितता तथा यूरोप में आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप, कार्बन बाजार की वर्तमान स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है और सीईआर का मूल्य पिछले कई वर्षों से 0 से 1 यूरो के बीच रह रही है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल जैसे ट्राइ बेंड फॉस्फोर के मूल्य में वृद्धि के कारण सीएफएल खर्चीले हो गए हैं। इन सभी कारकों ने योजना की वित्तीय जीवंतता को प्रभावित किया है। बीएलवाई के गतिशील कार्यान्वयन में यह अवरोध बन गया है।



बारहवीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां:

बचत लैंप योजना के अगले चरण में, ब्यूरो बीएलवाई चरण-1 कार्यक्रम, जिसे सीएफएल के वितरण के लिए प्रवर्तित किया गया था, से कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए आवश्यक विनियामक एवं निगरानी कार्य करेगा। बीएलवाई चरण-2 के अंतर्गत, ब्यूरो एलईडी लाइटों के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा। बीएलवाई कार्यक्रम के संस्थागत ढांचे तथा अवसंरचना का उपयोग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को लगभग 273 लाख एलईडी बल्बों के वितरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को तकनीकी सहयोग प्रदान करने तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रोद्भूत ऊर्जा बचत की निगरानी तथा सत्यापन के लिए किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले एलईडी बल्बों के लिए तकनीकी विशिष्टीकरणों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका कार्यान्वयन प्रगति पर है।

1.6.2 ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) एवं मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)

नए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) भारत सरकार द्वारा 27 मई 2007 को विकसित किया गया था। ईसीबीसी 100 किलोवाट के संयोजित भार या 120 केवीए और अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। जहां केंद्र सरकार को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य सरकारों के पास स्थानीय या क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार कोड को संशोधित करने और उन्हें अधिसूचित करने की नमनीयता है। वर्तमान में, कोड कार्यान्वयन के स्वैच्छिक चरण में है।

ईसीबीसी ऊर्जा निष्पादन के मानदंडों को परिभाषित करता है और देश जहां भवन स्थित है के जलवायु क्षेत्रों पर विचार करता है। कोड के माध्यम से संबोधित किए जाने वाले भवन के प्रमुख घटक हैं:

- आवरण (दीवारें, छतें, खिड़कियां)
- प्रकाश व्यवस्था
- एचवीएसी प्रणाली
- वाटर हीटिंग और पंपिंग प्रणाली
- विद्युत प्रणाली

जबकि ईसीबीसी ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास अपने राज्यों में अधिसूचना के माध्यम से निहित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों और पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र ने कोड को अधिसूचित किया है जबकि कई अन्य राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ईसीबीसी को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं।

ईसीबीसी पर अद्यतन स्थिति

निर्मित पर्यावरण में ईसीबीसी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु, 11वीं योजना अवधि के दौरान सक्षमता के लिए अनेक उपाय अपनाए गए। इनमें (1) ईसीबीसी विशेषज्ञ वास्तुविदों का पैनल बनाना, (2) तकनीकी संदर्भ

सामग्री जैसे ईसीबीसी यूजर गाइड, प्रकाश व्यवस्था हेतु टिप शीटों, लिफाफों, एचवीएसी, अनुकार का विकास, (3) कोड जरूरतों से समनुरूपता के निर्धारण हेतु वास्तुविदों/डिजाइन पेशेवरों तथा कोड अनुपालन अधिकारियों की सहायता हेतु अनुकूलन/अनुपालन जांच उपकरणों (इकोनिर्माण) का विकास, (4) कोड के विभिन्न पहलुओं का समावेश करते हुए मानक ईसीबीसी प्रशिक्षण मॉड्यूल, (5) ऊर्जा दक्षता पर मसौदा राष्ट्रीय दीर्घकालीन पर्यावास मानकों के निर्माण हेतु आवासीय तथा वाणिज्यिक भवनों/परिसरों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानकों के संबंध में विकसित आदर्श भवन उप नियम शामिल थे।

12वीं योजना के दौरान गतिविधियों के माध्यम से मौजूदा वाणिज्यिक भवनों में निर्मित वातावरण तथा ऊर्जा दक्षता सुधार में ईसीबीसी के व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और वर्ष 2014–15 के दौरान चलाई गई गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं:

- प्रौद्योगिकी उन्नति, ऊर्जा मांग, आपूर्ति परिदृश्य के संबंध में बाजार परिवर्तन के संबंध में ईसीबीसी अपडेट की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए तकनीकी समितियां तथा कार्य समूह गठित किए गए।
- विभिन्न जलवायु जोनों में भवनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रदर्शनों के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है।
- राज्य में क्षमता निर्माण हेतु देश के विभिन्न स्थानों पर 7 ईसीबीसी व्यापक प्रशिक्षण एवं 8 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- ईसीबीसी पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत एमएनआईटी, जयपुर; सीईपीटी, अहमदाबाद तथा आईआईआईटी, हैदराबाद में प्रशिक्षकों के 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करके 40 नए मास्टर प्रशिक्षकों को चिन्हित किया गया है। ये मास्टर प्रशिक्षक राज्यों की जरूरतों के आधार पर वास्तुविदों/डिजाइन पेशेवरों तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के कोड अनुपालन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आवासीय भवनों पर अद्यतन स्थिति

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने पैसिव डिजाइन विशेषताओं को शामिल करने के उद्देश्य से “मिश्रित एवं उष्ण-शुष्क जलवायु के लिए ऊर्जा दक्ष बहुमंजिले आवासीय भवनों के लिए डिजाइन दिशानिर्देश” विकसित किए हैं। पहले, ऊर्जा दक्ष आवासीय इकाइयों को घरों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की लेबलिंग के माध्यम से संबोधित किया जाता था तथा पैसिव डिजाइन विशेषताओं पर विचार नहीं किया जाता था।

डिजाइन दिशानिर्देश का शुभारंभ श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री तथा श्री पी.के. सिन्हा, विद्युत सचिव तथा महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2 सितंबर 2014 को किया गया।

मौजूदा भवनों पर अद्यतन स्थिति

भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधारों की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि, विशिष्ट हस्तक्षेपों जिनसे अधिक ऊर्जा दक्षता प्राप्त की जा सकती है के बारे में भवन स्वामियों और प्रबंधकों में जागरूकता के अभाव, और इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप भविष्य की ऊर्जा बचत को हासिल करने के लिए एक उपयुक्त वितरण तंत्र की अनुपलब्धता, भवनों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि को हतोत्साहित करती है। ऊर्जा बचतों का निर्धारण ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के बाद खपत की गई ऊर्जा आधारभूत तुलना से किया जाता है। ऊर्जा लेखापरीक्षा अध्ययनों ने अंतिम उपयोग जैसे प्रकाश, शीतन, वेंटिलेशन, प्रशीतन इत्यादि में 40% की सीमा तक बचत क्षमता व्यक्त की है।



ऊर्जा दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप ऊर्जा लागत बचतें भवन स्वामियों और कब्जेदारों को भवन के जीवन चक्र तक प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं।

कई बार, यह देखा गया है कि प्रख्यात हस्तक्षेपों के माध्यम से ऐसे भवनों में ऊर्जा संरक्षण हासिल किया जा सकता है, जो लागत प्रभावी भी हैं। हालांकि, इन हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में संस्थागत, प्रक्रियात्मक और प्रक्रिया बाधाएं, खास तौर पर इन हस्तक्षेपों के कारण ऊर्जा बचतों के आकलन और गारंटी में भवन प्रबंधकों की अयोग्यता, आड़े आती हैं। इस संस्थागत बाधा को दूर करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता सेवाओं के संस्थानीकरण, और ऊर्जा दक्षता वितरण प्रणालियों, जैसे कि भवन स्वामियों द्वारा महसूस किए गए जोखिमों का समाधान करने वाली ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ), के लिए बाजार का विकास, को प्रोत्साहित करने का कार्य आरंभ किया है। ईएससीओ एक बिजनेस मॉडल उपलब्ध कराती हैं जिसके माध्यम से मौजूदा भवनों में ऊर्जा बचत क्षमता हासिल की जा सकती है और भवन स्वामियों के समक्ष आने वाले जोखिमों का समाधान भी किया जा सकता है। ईएससीओ द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के माध्यम से हासिल ऊर्जा बचतों के लिए निष्पादन-अनुबंध भुगतानों से सुनिश्चित होता है कि बचतें हुई हैं, और यह कि भवन स्वामियों द्वारा ईएससीओ को भुगतान ये बचतें हासिल करने से संबंधित हैं। संभावित एजेंसियों, जिनके ईएससीओ तथा वित्तीय संस्थानों की सेवाएं प्राप्त करने की संभावना है, के मध्य विश्वसनीयता का भाव जागृत करने के लिए, ब्यूरो निष्पादन अनुबंध, तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता, वित्तीय ताकत इत्यादि पर आधारित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता के संबंध में इन आवेदकों को रेटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ईएससीओ हेतु प्रत्यायन अभ्यास करता है। यह रेटिंग अभ्यास सेबी प्रत्यायित एजेंसियों जैसे क्रिसिल, केयर और इकरा के माध्यम से किया जाता है। इस अभ्यास के परिणाम सार्वजनिक डोमेन में तथा विभिन्न राज्य सरकारों/एसडीए को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उन्हें अपने संबंधित राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा प्राप्त हो। 129 ईएससीओ ब्यूरो के साथ पैनलबद्ध हैं। निष्पादन अनुबंध मोड पर मौजूदा सुविधाओं में ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, ब्यूरो ने एस्को मोड पर केंद्र सरकार के मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन हेतु एक योजना आरंभ की है। अनुमोदित योजना में केंद्र सरकार की एजेंसियों/राज्य नामित एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापरीक्षा (आईजीईए) के लिए वित्तीयन की व्यवस्था है।

ऊर्जा सक्षम भवनों के लिए बाजार दबाव को प्रोत्साहित करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम विकसित किया है जो किलोवाट/वर्ग. मी/वर्ष में व्यक्त इसके क्षेत्रफल पर भवन में ऊर्जा उपयोग के संबंध में किसी भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। यह कार्यक्रम भवनों को 1 से 5 स्टार स्तर प्रदान करता है, जिसमें 5 स्टार के लेबल वाला भवन सबसे अधिक ऊर्जा सक्षम माना जाता है। दिन में उपयोग के कार्यालय भवनों, बीपीओ तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के लिए स्टार लेबल विकसित किए गए हैं। लगभग 150 वाणिज्यिक भवनों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।

1.6.3 मानक एवं लेबलिंग योजना

मानक एवं लेबलिंग योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई एकल योजनाओं में से एक थी। मानक एवं लेबलिंग योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को ऊर्जा दक्षता निष्पादन पर आधारित परिणामी ऊर्जा बचत के संबंध में विभिन्न ऊर्जा खपत उपकरण/उपकरणों के बारे में एक सूचित पसंद प्रदान करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों के साथ, मानक एवं लेबलिंग योजना में 21 उपकरण शामिल हैं जिसमें से 4 उपकरण अनिवार्य किए गए थे तथा 17 स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत शामिल थे। इस प्रकार मानक एवं लेबलिंग योजना निम्नलिखित लाभों सहित सफलतापूर्वक संपन्न हुई:

- इसने एक संगठित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा सक्षम उपकरण खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के मध्य एक अच्छा प्रभाव डाला।
- गैर ऊर्जा सक्षम उत्पादों से ऊर्जा सक्षम उत्पादों की ओर बाजार परिवर्तन हुआ।
- परिणामतः 11वीं योजना में 7766 मेगावाट की परिवर्जित क्षमता का उत्पादन हुआ।

प्रयासों को जारी रखते हुए, अब ब्यूरो 12वीं योजना अवधि में निम्न तीन उपकरणों को स्वैच्छिक स्थिति से अनिवार्य स्थिति में परिवर्तित करने की तैयारी कर रहा है:

1. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
2. विद्युत वाटर हीटर
3. रंगीन टेलीविजन

12वीं योजना अवधि के दौरान, डीजी सेटों, कार्यालय उपकरणों, सॉलिड स्टेट इन्वर्टरों, डीजी पम्पों, परिवर्तनशील क्षमता के एयर कंडीशनरों और एलईडी लैंपों के लिए स्वैच्छिक स्टार योजना सफलतापूर्वक शुरू की गई। 12वीं योजना अवधि के अंत तक, उपरोक्त उपकरणों सहित 20 उपकरणों को स्वैच्छिक सूची तथा 7 उपकरणों को अनिवार्य सूची में शामिल करने की योजना है।

1.6.4 नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम

बढ़ती हुई जनसंख्या और जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के कारण सार्वजनिक सुविधाओं की बढ़ती मांग ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि कर दी है। नगरपालिका क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभिन्न सुविधा सेवाओं जैसे पथ प्रकाश, पानी के पंप चलाने, सीवेज उपचार, तथा विभिन्न सार्वजनिक भवनों में बिजली की खपत करते हैं। वर्तमान में लगभग 30% भारतीय जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार प्रवासन शहरी स्थानीय निकायों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है।

नगरपालिका क्षेत्र की ऊर्जा खपत की विशेषता लगातार परिवर्तन तथा पानी के पंप चलाने के लिए सुबह के समय तथा पथ प्रकाश के लिए शाम के समय व्यस्त समय की विद्युत भार में कटौती है। ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी तथा मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पहलों के सीमित प्रसार के कारण विद्युत के अक्षम उपयोग से नगरपालिकाओं द्वारा ऊर्जा के व्यय को बढ़ाया है। नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की सकल ऊर्जा दक्षता को सुधार सकता है जो बिजली खपत में पर्याप्त बचत कर सकता है जिसके परिणामतः शहरी स्थानीय निकायों की लागत में कमी/बचत होगी।

नगरपालिका क्षेत्र में ऊर्जा बचत की विशाल संभावनाओं को चिन्हित करते हुए, ब्यूरो ने 11वीं योजना के दौरान नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) आरंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना है जो बिजली खपत में पर्याप्त बचत कर सकता है जिसके



परिणामतः शहरी स्थानीय निकायों की लागत में कमी/बचत होगी। 11वीं योजना अवधि में प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:

- देश भर में 175 निकायों में स्थैतिक सर्वेक्षण कराया गया।
- 134 निकायों में, निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापरीक्षा (आईजीईए) करने के बाद विनियोजनीय डीपीआर तैयार की गई। 134 यूएलबी में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के माध्यम से वर्जित उत्पादन क्षमता के भाग रूप में 120 मेगावाट की कुल क्षमता बचत का अनुमान लगाया गया है।
- अनुमोदित डीपीआर को ब्यूरो द्वारा निकायों के साथ उनके द्वारा आगे कार्रवाई करने के लिए साझा किया गया। हालांकि, साइट स्तर पर सीमित कार्रवाई की गई।
- तैयार डीपीआर के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 143 निकायों में ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठों का गठन किया गया।
- सभी 134 निकायों के लिए डीपीआर से संबंधित अनुकूलित पूर्ण निविदा दस्तावेज साझा किए गए।
- कार्यक्रम के अंतर्गत एमयूडीएसएम वेब पोर्टल विकसित किया गया। पोर्टल में डीपीआर और कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित ज्ञान सामग्री निहित है।
- 2430 पंपिंग स्टेशनों सहित 105 शहरों के जल निकायों के लिए स्थैतिक सर्वेक्षण पूरा किया गया।

12वीं योजना एमयूडीएसएम कार्यक्रम में गतिविधियां

शहरी स्थानीय निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति उनके लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन को कठिन बनाती है और ईएससीओ भी भुगतान पाने में आशंकित होती हैं। जमीनी स्तर पर परियोजना का कार्यान्वयन अत्यधिक आवश्यक है जो प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, कार्यान्वयन भागीदारों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के मध्य बाजार रूपांतरण का सृजन करेगा। इन तथ्यों के मद्देनजर, यह प्रस्तावित किया गया है कि 12वीं योजना के दौरान 15 शहरी स्थानीय निकायों में डेमो परियोजनाओं का कार्यान्वयन पायलट आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, चुनिंदा शहरी स्थानीय निकायों में तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करके शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। 12वीं योजना कार्यक्रम के समग्र व्यापक उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

- क. शहरी निकायों के ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ की तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमता का निर्माण।
- ख. कुछ शहरी निकायों में चुनिंदा डीपीआर के कार्यान्वयन के माध्यम से ऊर्जा बचत को साकार करना।
- ग. जानकारी अंतरण के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रतिकृति के लिए अन्य शहरी निकायों को सुविधाजनक बनाना।
- घ. ऊर्जा दक्षता में बाजार रूपांतरण के सृजन के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करना।
- ङ. संस्थागत व्यवस्थाओं के सृजन के लिए राज्य शहरी विकास को सुविधाजनक बनाना जिसके माध्यम से परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 14 एसडीए को एमयूडीएसएम के लिए एक दिवसीय अंतर सक्रिय बैठक सह कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता अवमुक्त की गई, एक दिवसीय अंतरसक्रिय बैठक सह कार्यशालाएं

तेरह राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल) में आयोजित की गई, पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए 6 एसडीए को निधियां जारी की गई, ग्यारह राज्यों में राज्य स्तरीय संचालन समितियां गठित की गई, निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए 60 जल निकायों को पत्र भेजे गए।

1.6.5. कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) योजना

1) ब्यूरो द्वारा अतीत में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित कार्रवाई

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है, कृषि मंत्रालय के अनुसार यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 14%, इसके निर्यातों का लगभग 11% है। लगभग आधी जनसंख्या आय के प्रधान स्रोत के तौर पर कृषि पर निर्भर है और यह बहुत से उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत की कुल जल खपत का लगभग 80 प्रतिशत लगता है, और पम्प सिंचाई प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें वर्तमान में 19 मिलियन से अधिक पम्प भारत की कुल राष्ट्रीय विद्युत खपत का लगभग 19% खपत होता है।

इस क्षेत्र में 25%–30% की औसत दक्षता दर वाले अत्यधिक अक्षम पंपसेटों की प्रधानता है जबकि स्टार श्रेणी के ऊर्जा सक्षम पंपसेटों का दक्षता स्तर 40%–45% है। कृषि पंपों के मांग पक्ष प्रबंधन में ऊर्जा सक्षम पंपसेटों को प्रोत्साहन द्वारा मांग-आपूर्ति अंतर को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है।

ऊर्जा बचत क्षमता का दोहन करने के लिए, 11वीं योजना में आठ राज्यों (महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक) के ग्यारह डिस्कॉम में ब्यूरो की एजीडीएसएम योजना आरंभ की गई जो कृषि की दृष्टि से गहन और जिसमें इस क्षेत्र में 70% से अधिक विद्युत खपत होती है। इस योजना में लगभग 20,750 पंपसेट शामिल थे और 11 विनियोजनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं। ये डीपीआर आधारभूत अनुमान, ऊर्जा बचत क्षमता आकलन, जोखिम न्यूनीकरण उपायों, लागत लाभ विश्लेषण इत्यादि को शामिल करने के लिए तैयार की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य में, 2209 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से ऊर्जा सक्षम स्टार रेटेड पंपसेटों से सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया गया। शेष का प्रतिस्थापन किया जाना है। कृषि मांग प्रबंधन योजना का समग्र प्रभाव निम्न प्रकार से है:

2) 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना की प्रमुख उपलब्धियां

- 8 राज्यों में 11 डीपीआर तैयार की गई हैं। डीपीआर 90 एमयू की बचत दर्शाती है।
- सोलापुर, महाराष्ट्र में एक पायलट परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और अब तक 2209 पंपों का प्रतिस्थापन किया जा चुका है।
- 0.7 मेगावाट की सत्यापित बचत हासिल की गई (एनपीसी के अनुसार)
- वितरण कंपनियों तथा किसानों के लिए क्रमशः 7 राज्यों में कार्यशालाएं और 26 ओपन हाउस सत्र संचालित किए गए।

3) कुल वार्षिक ऊर्जा बचत :- 0.7 मेगावाट की सत्यापित बचत हासिल



12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना में निम्न हस्तक्षेपों के माध्यम से निरंतर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि की प्रक्रिया का निर्माण करना है:

1. नए संयोजनों के लिए बीईई स्टार लेबल वाले पंपसेटों के प्रयोग को अनिवार्य करने की विनियामक प्रणाली
2. डीपीआर के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और निगरानी तथा सत्यापन प्रोटोकॉल की स्थापना
3. सभी हितधारकों की तकनीकी सहायता और क्षमता विकास
4. ग्रामीण जन स्वास्थ्य एवं पेयजल प्रणालियों में पंपिंग दक्षता में डेमो परियोजनाएं

गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, पांच राज्यों ने नए कृषि संयोजनों के लिए ऊर्जा सक्षम पंपसेटों के प्रयोग के लिए राज्य व्यापी अनिवार्य अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए तत्परता दिखाई है। मौजूदा पंपों के ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कृषि मांग पक्ष प्रबंधन पायलट परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि मंत्रालय के समन्वय से पुणे, महाराष्ट्र में किसान प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, देश भर में व्यापक स्तरीय जागरूकता सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। 11 राज्यों ने सार्वजनिक ग्रामीण पेय जल पंपिंग प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनी इच्छा प्रकट की।

लक्ष्य:

स्टार रेटेड पंपों द्वारा ऊर्जा सक्षम पंपों के दक्षता उन्नयन द्वारा ऊर्जा गहन कृषि क्षेत्र में ऊर्जा खपत को घटाना। लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति निम्नलिखित हस्तक्षेप द्वारा की जाएगी:

सुपुर्दगी योग्य:

- 1) नए संयोजनों के लिए बीईई स्टार लेबल वाले पंपसेटों के प्रयोग को अनिवार्य करने की विनियामक प्रणाली
 - कृषि क्षेत्र में नए संयोजनों के लिए बीईई स्टार लेबल वाले पंपसेटों के प्रयोग को अनिवार्य करने की विनियामक प्रणाली तैयार करने व अपनाने के लिए राज्य सरकार को सुविधा प्रदान करना तथा मौजूदा योजनाओं को भी सहयोग प्रदान करना।
 - ऊर्जा सक्षम स्टार रेटेड पंपसेटों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि क्षेत्र में मौजूदा राज्य/केंद्र सरकार की योजनाओं को सुविधाजनक बनाना।
 - ऊर्जा सक्षम पंपों को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता जिसमें सीमांत और छोटे किसानों की श्रेणी से संबद्ध किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- 2) डीपीआर के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और निगरानी तथा सत्यापन प्रोटोकॉल की स्थापना
 - 11वीं योजना के दौरान तैयार की गई बकाया डीपीआर के कार्यान्वयन में डिस्कॉम को सुविधा प्रदान करना।

- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन परियोजनाओं में ऊर्जा बचत को स्थापित करने के लिए निगरानी और सत्यापन प्रोटोकॉल।
- स्टार रेटेड पंपसेटों के व्यापक स्तरीय अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सेट दक्षता उन्नयन से उत्पन्न लाभों/बचतों का प्रदर्शन।

3) सभी हितधारकों की तकनीकी सहायता और क्षमता विकास

- राज्यों में राज्य नामित एजेंसियों, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा वितरण कंपनियों का क्षमता निर्माण।
- किसानों की जागरूकता बढ़ाने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन हाउस सत्र।
- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना को प्रोत्साहित करने तथा व्यवहारों को साझा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं।

4) ग्रामीण जन स्वास्थ्य एवं पेयजल प्रणालियों में पंपिंग दक्षता

- ग्रामीण स्वास्थ्य पेयजल प्रणालियों में पंपिंग दक्षता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संभाव्यता विश्लेषण।
- प्रत्येक राज्य में पहली पायलट परियोजना को परियोजना की 100% लागत की दर से वित्तीय सहायता तथा पश्चातवर्ती 3 परियोजनाओं को कुल परियोजना लागत के 50% की दर से निधियां प्रदान की जायेंगी।

2016–17 तक की जाने वाली गतिविधियों का विवरण समय सहित अनुलग्नक-1 में संलग्न है

कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना के अंतर्गत बजट का विवरण:

आवंटित बजट	अनुमोदित बजट	प्राप्त बजट	आज तक व्यय
71 करोड़	71 करोड़	7 करोड़	5.72 करोड़



12वीं योजना के दौरान की गई गतिविधियों का परिदृश्य

12वीं योजना के लक्ष्य	कार्यक्रम से बचत	आवंटित राशि (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति (इस प्रकार अब तक व्यय राशि, हासिल की गई बचत)
राज्य नामित एजेंसियों के माध्यम से नए संयोजनों के लिए बीईई स्टार लेबल वाले पंप सेटों के प्रयोग को अनिवार्य बनाने की विनियामक प्रणाली	उपलब्ध नहीं	48.9	<ul style="list-style-type: none"> सीमांत और छोटे किसानों हेतु प्रस्तावित रु. 1700 / प्रति पंप की दर से वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए 8 कृषि गहन राज्यों के ऊर्जा विभागों / डिस्कॉम को पत्र भेजे गए। तीन राज्यों यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। अन्य 5 राज्यों से अभी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है पहले दो राज्यों में से प्रत्येक यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को रु. 1.25 करोड़ की पहली किस्त 18 मार्च 2014 को अंतरित की जा चुकी है। कर्नाटक ने वित्तीय सहायता पहले ही वापस कर दी है क्योंकि उनके अनुसार बीईई द्वारा प्रस्तावित रु. 1700 प्रति पंप की वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है।
डीपीआर के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना और निगरानी तथा सत्यापन प्रोटोकॉल स्थापित करना	उपलब्ध नहीं	7	<ul style="list-style-type: none"> डीपीआर के कार्यान्वयन के संबंध में, ब्यूरो में विभिन्न डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान (जेवीवीएनएल) और कर्नाटक (सीईएससी) के डिस्कॉम से विचार-विमर्श अंतिम चरण में है।
सभी हितधारकों की तकनीकी सहायता और क्षमता विकास	उपलब्ध नहीं	6	<ul style="list-style-type: none"> कर्नाटक में जुलाई-अगस्त 2014 के दौरान चार किसान जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई।

			<ul style="list-style-type: none"> • किसानों के लिए “ऊर्जा एवं जल संरक्षण” पर केवीके, बारामती में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
ग्रामीण जन स्वास्थ्य एवं पेयजल प्रणाली में पंपिंग दक्षता	उपलब्ध नहीं	9.1	<ul style="list-style-type: none"> • ग्रामीण पेय जल योजनाओं में पायलट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, नौ राज्यों नामतः गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने ब्यूरो को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। • तत्पश्चात कर्नाटक ने भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। • सभी 10 राज्यों के सभी एसडीए को 31 लाख की वित्तीय सहायता 18 मार्च 2014 और 30 जून 2015 को भेजी गई है। • सभी राज्यों में किक ऑफ बैठकें संपन्न हुई हैं।

प्रत्येक कार्यक्रम में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई कार्रवाई

1) नए संयोजनों के लिए बीईई स्टार लेबल वाले पंप सेटों के उपयोग को अनिवार्य करने हेतु एसडीए के माध्यम से विनियामक प्रणाली निम्न है:

- कृषि क्षेत्र में सभी नए संयोजनों हेतु बीईई स्टार लेबल वाले पंप सेटों के उपयोग को अनिवार्य करने की विनियामक प्रणाली तैयार करने तथा अपनाने में राज्य सरकार को सुविधा प्रदान करना तथा मौजूदा योजनाओं को भी सहायता प्रदान करना।
- प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करने में एसडीए / राज्य सरकारों को सुविधा और सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा सक्षम पंपों को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता।

2) कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना के अंतर्गत डीपीआर के कार्यान्वयन और निगरानी व सत्यापन प्रोटोकॉल की सुविधा प्रदान करना

- तैयार की गई डीपीआर के चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन में डिस्कॉम को सुविधा प्रदान करना
- उन राज्यों में जहां कार्यान्वयन हेतु संबंधित डिस्कॉम से सहमति प्राप्त होने की संभावना है निगरानी व सत्यापन आरंभ करना
- सोलापुर, महाराष्ट्र में कृषि मांग पक्ष प्रबंधन परियोजना में निगरानी व सत्यापन जारी रखना



3) सभी हितधारकों की वित्तीय सहायता और क्षमता विकास

- जिन राज्यों में कृषि मांग पक्ष प्रबंधन योजना सक्रिय है वहां राज्य नामित एजेंसियों, राज्य विद्युत विनियामक आयोग और डिस्कॉम का क्षमता निर्माण
- दिल्ली और आंध्र प्रदेश में दो राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाएं
- जागरूकता बढ़ाने तथा एजीडीएसएम योजना में उनकी प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के लिए ओपन हाउस सत्र (5 सत्र/वर्ष)।

4) ग्रामीण जन स्वास्थ्य और पेय जल प्रणाली में पंपिंग दक्षता

- डेमो परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- राज्यों/ग्रामीण पट्टी में पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एसडीए/राज्य सरकारों को वित्तीय के साथ ही तकनीकी सहायता देकर सुविधा प्रदान करना।
- परियोजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

हदों का उल्लेख किया जाए और इन हदों को दूर करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई

बाधाएं और हदें:

- राज्य सरकारें योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन के प्रति अनिच्छुक हैं।
- नए कृषि संयोजन जारी करने के लिए डिस्कॉम द्वारा उचित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
- वित्तीय पहुंच में अभाव के कारण कुछ डिस्कॉम एजीडीएसएम पायलट परियोजना के कार्यान्वयन में रुचि नहीं दिखा रही हैं।
- वितरण कंपनियों की ओर से डीएसएम परियोजनाओं के लिए समर्पित निधि स्रोत के अभाव के कारण एस्को निवेश के पुनर्भुगतान पर अनिश्चितता।

इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई

- राज्य ऊर्जा विभागों और डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों के साथ सख्त अनुसरण
- संवितरण हेतु आवंटित निधियों का उपयोग बकाया 12वीं योजना के दौरान पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाए।
- डिस्कॉम के मध्य विश्वास बनाने के लिए सोलापुर जैसी परियोजना के भ्रमण का आयोजन प्रस्तावित किया जाए।
- डीपीआर के तकनीकी और वित्तीय मानकों को संशोधित करने के लिए मौजूदा डीपीआर का पुनर्वैधीकरण किया जाएगा।
- एजीडीएसएम योजना के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संभावित गतिविधियां सूचित करते हुए ईईएसएल के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जायें।

1.6.6 लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन

भारत में निर्माण क्षेत्र, जिसमें 80% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, निरंतर विकास प्रक्रिया को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण खंड का गठन करता है। भारत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुषंगी इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में असाधारण रूप से योगदान करते हैं। जैसा कि देखा गया है, इन इकाइयों में नियोजित औद्योगिक व्यवस्थाएं और प्रौद्योगिकी में व्यापक तौर पर अंतर होता है। पुनश्च, इन उद्यमों की बाजार अनिश्चितता, प्रौद्योगिकी अप्रचलन, प्रचालन के उप इष्टतम स्तर, निधियों की कमी इत्यादि सहित अपनी परेशानियां होती हैं।

ऊर्जा की लागत निर्माण इकाइयों और पंचदार विद्युत लागतों के लिए एक अत्यावश्यक घटक मानी जाती है और इस क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए ऊर्जा दक्षता को बेहद महत्व मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, भारत भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऊर्जा सक्षम पद्धतियों को प्रोत्साहित करके धारणीयता हासिल करने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है।

भारत भर में फैले काफी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियां अपनाकर ऊर्जा संरक्षण की ओर परावर्तन के लिए काफी अवसर प्रदान करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा हाल में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत में प्रचालनरत लगभग 36 मिलियन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, भारत के सकल घरेलू उत्पाद अंकों में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं और लगभग 80 मिलियन लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इनमें से काफी उद्यम ऊर्जा प्रभावी हैं, जहां ऊर्जा लागत उत्पादन लागत का एक प्रमुख भाग होती है।

11वीं योजना गतिविधियों के दौरान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पाया है कि धन की बचत की भारी संभावना और क्षेत्र के बावजूद, जागरूकता के अभाव और जानकारी की विषमता के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इस अवसर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पुनश्च, भारी अपफ्रंट लागत और सहायक वित्तीयन प्रणाली का अभाव सक्षम प्रौद्योगिकियों को न अपनाने के कुछ कारण हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, बीईई ने 12वीं योजना के दौरान ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण पर अपनी गतिविधियां केंद्रित की हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में व्यापक प्रसार अपटेक और ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियों की प्रतिकृति के लिए यह आवश्यक है।

12वीं योजना में गतिविधियां

11वीं योजना अवधि की सीखों और अनुभवों के आधार पर, ब्यूरो ने चुनिंदा समूहों में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए एक व्यापक योजना विकसित की है। 12वीं योजना के दौरान, माना गया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों द्वारा देश भर में लगभग 1500 एसएमई इकाइयां विभिन्न निष्पादन एजेंसियों के सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए कार्य कर रही हैं। बीईई 12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित प्रमुख हस्तक्षेप अपना रहा है:

1. 5 एसएमई क्षेत्रों में 10 सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों की 100 प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन। चिन्हित क्षेत्र हैं पाली (वस्त्र), वाराणसी (ईंटें), लुधियाना (फोर्जिंग), इंदौर (खाद्य पदार्थ) और कोच्चि (समुद्री भोजन समूह)।
2. राज्यों में एमएसएमई-डीआई के निकट सहयोग से पैन इंडिया आधार पर ऊर्जा प्रभावी समूहों की मैपिंग।
3. ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के लाभों को दर्शाने के लिए 5 क्षेत्रों में ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए



सब्सिडी प्रदान करना तथा अन्य इकाइयों को इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात इकाई मालिकों को प्रति प्रदर्शन रु. 10 लाख तक की सब्सिडी सीधे प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

गतिविधियों की स्थिति:

1. पांच समूहों के लिए एसएमईज में ऊर्जा दक्षता के लिए बीईई-राष्ट्रीय कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए 12 एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया है।
2. चुनिंदा पांच समूहों में समूह संघों, इकाइयों, एमएसएमई, क्षेत्रीय अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं से हितधारकों के लिए प्रारंभिक कार्यशालाएं संचालित की गईं।
3. लुधियाना और वाराणसी समूहों में आधारभूत लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है और कार्यान्वयन हेतु सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियां चिन्हित की गई हैं।
4. कोच्चि (समुद्री भोजन), इंदौर (खाद्य पदार्थ) तथा पाली (वस्त्र) समूहों में प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लाभार्थी इकाइयों का चिन्हीकरण प्रगति पर है।

1.6.7 डिस्कॉम का क्षमता निर्माण

पृष्ठभूमि:

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है। यह ब्यूरो के अन्य कार्यक्रमों, जैसे कि कृषि मांग पक्ष प्रबंधन, नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन, एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम), उद्योग एवं मानक व लेबलिंग कार्यक्रम से निकट से संबद्ध है। यह कार्यक्रम इन गतिविधियों को डिस्कॉम द्वारा मांग पक्ष प्रबंधन के लिए चलाई जा रही गतिविधियों से एकीकृत करने में मदद करेगा। पुनश्च, यह कार्यक्रम डिस्कॉम के क्षमता निर्माण तथा उनके संबंधित राज्यों में डीएसएम को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के विकास में मदद करेगा।

परियोजना की समग्र प्रणाली:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भार प्रबंधन कार्यक्रम बनाना, डीएसएम कार्य योजना तैयार करना और अपने संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम गतिविधियों का कार्यान्वयन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीईई और डिस्कॉम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जायेंगी:

1. चुनिंदा वितरण कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना।
2. इन डिस्कॉम द्वारा डीएसएम सेल की स्थापना।
3. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) के अंतर्गत डिस्कॉम के अधिकारियों में से लगभग 500 मास्टर प्रशिक्षकों का सृजन।
4. क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के अंतर्गत इन मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा डिस्कॉम के लगभग 5000 अधिकारियों का प्रशिक्षण।

5. डिस्कॉम को अपने क्षेत्रों में डीएसएम उपायों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए डिस्कॉम को जनशक्ति सहयोग प्रदान करना ।
6. डिस्कॉम को भार सर्वेक्षण, भार अनुसंधान, भार नीति इत्यादि के लिए कंसल्टेंसी सहयोग प्रदान करना और डीएसएम कार्य योजना तैयार करना ।
7. विनियामक द्वारा डीएसएम विनियमनों को स्वीकार करना ।
8. बहु-वर्षीय प्रभार (एमवाईटी) के साथ डीएसएम योजना को लागू करना ।
9. डीएसएम कार्य योजना का कार्यान्वयन ।
10. डीएसएम गतिविधियों की निगरानी और सत्यापन तथा विनियामक को सूचित करना ।

अब तक की स्थिति:

परियोजना की समग्र प्रणाली:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भार प्रबंधन कार्यक्रम बनाना, डीएसएम कार्य योजना तैयार करना और अपने संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम गतिविधियों का कार्यान्वयन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीईई और डिस्कॉम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जायेंगी:

1. बीईई ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी डिस्कॉम के तौर पर भाग लेने के लिए 34 डिस्कॉम का चयन किया है। (सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है)।
2. बीईई और चुनिंदा डिस्कॉम के मध्य सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत डिस्कॉम के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं।
3. 29 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम सेल स्थापित किए गए हैं।
4. 14 राज्यों द्वारा डीएसएम विनियमन अधिसूचित किए गए हैं।
5. डीएसएम संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और डिस्कॉम को सहयोग के लिए प्रत्येक डिस्कॉम को जनशक्ति सहयोग प्रदान किया गया है।
6. डिस्कॉम को कंसल्टेंसी सहयोग प्रदान किया गया है और 27 डिस्कॉम में भार सर्वेक्षण चल रहा है।
7. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर लगभग 500 मास्टर प्रशिक्षकों के सृजन के लिए बीईई द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को नियुक्त किया गया है।
- डिस्कॉम के लिए प्रशिक्षण जरूरत आकलन पूरा हो गया है और इस आकलन के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।
- लगभग 500 मास्टर प्रशिक्षक "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" के अंतर्गत सृजित किए जायेंगे और इन मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा डिस्कॉम के अधिकारियों को आगे प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- अब तक, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों सहित 12 डिस्कॉम के 170 अधिकारियों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण गतिविधि के अंतर्गत डीएसएम पर मास्टर प्रशिक्षक के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है।



अनुलग्नक-1

क्र. सं.	डिस्कॉम का नाम		राज्य
1	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	टीपीडीडीएल	दिल्ली
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जेडीवीवीएनएल	राजस्थान
3	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	यूजीवीसीएल	गुजरात
4	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	एमजीवीसीएल	गुजरात
5	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	डीजीवीसीएल	गुजरात
6	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	एवीवीएनएल	राजस्थान
7	तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	टीएनजीईडीसीओ	तमिलनाडु
8	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	एपीडीसीएल	असम
9	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	एनबीबीडीसीएल	बिहार
10	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	पीजीवीसीएल	गुजरात
11	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड	एचपीएसईबीएल	हिमाचल प्रदेश
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जेवीवीएनएल	राजस्थान
13	पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	पीएसपीसीएल	पंजाब
14	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	केएसईबीएल	केरल
15	विद्युत विभाग, गोवा सरकार	ई डिपार्टमेंट, गोवा	गोवा
16	मेघालय एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	एमईडीसीएल	मेघालय
17	चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड	सीईएससी	कर्नाटक
18	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र
19	उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	यूपीसीएल	उत्तराखंड
20	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	यूएचबीवीएन	हरियाणा
21	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीयूवीवीएनएल	उत्तर प्रदेश
22	एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	एमकेवीवीसीएल	मध्य प्रदेश
23	पावर एवं इलेक्ट्रिसिटी विभाग, मिजोरम सरकार	पी एंड ई डिपार्ट., मिजोरम	मिजोरम
24	सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड	एपीएसपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश
25	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	एसबीपीडीसीएल	बिहार
26	त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	टीएसईसीएल	त्रिपुरा
27	वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा लिमिटेड	डब्ल्यूईएससीओ	ओडिशा
28	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	बीआरपीएल	दिल्ली
29	बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	बीईएससीओएम	कर्नाटक
30	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	जीईएससीओएम	कर्नाटक
31	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	डीएचबीवीएन	हरियाणा
32	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीवीवीएनएल	उत्तर प्रदेश
33	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़
34	पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	पीडीडी	जम्मू व कश्मीर

1.6.8 राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना

12वीं योजना के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने “ऊर्जा के सक्षम उपयोग और इसके संरक्षण पर राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण” के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है। 12वीं योजना के दौरान योजना का अनुमोदित कुल प्रावधान रु. 205.31 करोड़ है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

1. राज्य नामित एजेंसियों को अपनी संस्थागत क्षमताओं और योग्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ) में अंशदान।
3. ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, निम्न घटकों जैसे एलईडी ग्राम अभियान सहित सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकी के प्रभावीपन को दर्शाने के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रवर्तन प्रणाली के संस्थानीकरण, राज्यों में ऊर्जा दक्षता के सुगम समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन के लिए जनशक्ति सहयोग तथा कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रभाव विश्लेषण, प्रचार/जागरूकता, इंटरनेट प्लेटफार्म इत्यादि के माध्यम से जानकारी के प्रसार के कार्यान्वयन के लिए 21 एसडीए को रु. 25.23 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए, एसडीए को रु. 27.493 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

1.6.9 राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ) को अंशदान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16(1) राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासन से राज्य में ऊर्जा के सक्षम उपयोग और इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसईसीएफ नामक एक कोष का गठन करने की अपेक्षा करता है। इस संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना के दौरान रु. 66 करोड़ के प्रावधान के साथ राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (एसईसीएफ) शीर्षक एक योजना का अनुमोदन किया गया और यह 12वीं योजना के दौरान रु. 50 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ जारी है। इसका प्रयोग बाजार परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपकरण के तौर पर किया जाना है। ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं शुरू करने के लिए एसईसीए के अंतर्गत संवितरित कोष का प्रमुख भाग आवर्ती निवेश कोष (आरआईएफ) के तौर पर अलग से चिन्हित किया जाना है। इस उप योजना के लिए 12वीं योजना के दौरान कुल प्रस्तावित प्रावधान रु. 50.00 करोड़ है। अब तक, 25 राज्यों ने एसईसीएफ का गठन किया है जिसमें लगभग 15 राज्यों ने अनुरूप अंशदान भी उपलब्ध कराया है।

1.6.10 विविध

(I) ऊर्जा संरक्षण सूचना केंद्र (ईसीआईसी):

बीनेट के नाम से ज्ञात, ऊर्जा संरक्षण सूचना केंद्र (ईसीआईसी) स्थापित किया गया है, जो एक वेब समर्थित ऑनलाइन डाटा संग्रहण और मिलान प्रणाली है। यह वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली नामित उपभोक्ताओं द्वारा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 (के) और 14 (आई) के अंतर्गत अपेक्षित रिटर्न की अबाध फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है।



(ii) ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं द्वारा नियुक्त या नामित किए जाने वाले प्रमाणित ऊर्जा प्रबंध और प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक के लिए योग्यता के तौर पर राष्ट्र स्तरीय प्रमाणन परीक्षा पास करना निर्दिष्ट किया है।

बीईई ने ऊर्जा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तीयन तथा कार्यान्वयन, तथा नीति विश्लेषण में निपुणता वाले व्यावसायिक तौर पर योग्य ऊर्जा प्रबंधकों और लेखापरीक्षकों का एक कैडर तैयार करने की चुनौती स्वीकार की है। बीईई ने मई 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए राष्ट्र-व्यापी, राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा नियमित रूप से संचालित की है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाणन परीक्षा को बहुत अच्छी से लेकर उत्कृष्ट तक की दर प्रदान की है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में विकासों के अनुसार, 2014 में तैयार गाइड बुकों के नवीनतम संस्करण में कवरेज तथा पाठ्यक्रम को भी संशोधित किया गया है।

2004 से 2014 के दौरान संचालित पिछली 15 परीक्षाओं से देश में अब 12228 प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों में से 8536 प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षकों के रूप में भी योग्य हैं।

राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के क्षमता निर्माण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसे कम ऊर्जा प्रभावी बनाते हुए एक दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

(iii) जागरूकता और पहुंच:

बीईई और विद्युत मंत्रालय के सामान्य जागरूकता अभियान तथा मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण की आदत अपनाने की प्रभाविकता और नीतियों पर जनता में जागरूकता पैदा करना है।

देश के हर भाग में ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के प्रचार को बढ़ाने के लिए, मीडिया की सेवाएं ली गईं और देशवासियों ने अपने चैनलों पर बीईई के विज्ञापन देखते हुए, राष्ट्रीय समाचारपत्रों के माध्यम से प्रेरक संदेश पाते हुए तथा विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डों पर प्रदर्शित होते ऊर्जा बचत नारों के माध्यम से ऊर्जा चेतनता की धड़कन को महसूस करते हुए इसका सफल प्रभाव दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में मीडिया अभियान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नीति के अनुसार डीएवीपी के माध्यम से जारी किया गया।

प्रदर्शनियां: बीईई ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर, 2014 के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा बीईई के विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टॉल सहित विद्युत क्षेत्र की अन्य प्रदर्शनियों में भाग लिया।

संवर्धन सामग्री जैसे कि लीफलेट्स/ब्रोशर्स आगंतुकों के मध्य वितरित किए गए। आगंतुकों के मध्य ऊर्जा संरक्षण की जागरूकता के लिए प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रदर्शनी के दौरान नुक्कड़ नाटकों के शो भी आयोजित किए गए।

1.7 विद्युत मंत्रालय की योजनाएं


- एनईसीए और चित्रकला प्रतियोगिता
- बड़े उद्योगों में ऊर्जा दक्षता

1.7.1 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष विद्युत मंत्रालय द्वारा उद्योगों तथा अन्य स्थापनों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार तथा ऊर्जा संरक्षण पर स्कूली बच्चों के लिए वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम प्रदान किए जाते हैं।


वार्षिक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उद्योगों, भवनों, क्षेत्रीय रेलवे, राज्य नामित एजेंसियों; तथा नगरपालिकाओं द्वारा ऊर्जा संरक्षण में नवोत्पादों और उपलब्धियों को मान्यता देते हैं और यह जागरूकता पैदा करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा बचतों के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मायन को कम करने में भारत की प्रतिक्रिया में अहम भूमिका अदा करता है। ये पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता के प्रति उनके प्रदर्शित प्रतिबद्धता के भी मानक हैं।

उद्योगों के 39 उप क्षेत्र, थर्मल पावर स्टेशन, कार्यालय भवन, बीपीओ भवन, होटल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, क्षेत्रीय रेलवे, रेलवे कार्यशालाएं, नगरपालिकाएं, राज्य नामित एजेंसियां और बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों/उपकरण के निर्माता पुरस्कारों में शामिल किए जाते हैं। औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों से प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है जैसा कि बढ़ रहे प्रतिभागिता स्तर से स्पष्ट है (1999 में 123 से 2013 में 829)।






राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना (1999–2014) में भारतीय उद्योग एवं अन्य प्रतिष्ठानों से प्रोत्साहजनक प्रतिक्रियाएं



ऊर्जा बचत परियोजनाओं (1999–2014) के कार्यान्वयन के माध्यम से भाग लेने वाली यूनिटों द्वारा प्रतिवर्ष बच सकने योग्य क्षमता (मेगावट) के समतुल्य विद्युत की ऊर्जा बचतें



पहले पुरस्कार हेतु 14, दूसरे पुरस्कार हेतु 37 तथा मेरिट प्रमाणपत्र हेतु 44 इकाइयों का चयन किया गया। प्रतिभागी इकाइयों ने ऊर्जा संरक्षण उपायों में रु. 9091 करोड़ का निवेश किया और रु. 4817 करोड़ की मौद्रिक बचत की। प्रतिभागी इकाइयों ने 5197 मिलियन किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा भी बचाई जो 857 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित ऊर्जा के बराबर है। माननीय केंद्रीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने विजेताओं को 14 दिसंबर 2014 को विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए।



माननीय केंद्रीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने 14 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए।



राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेता – 2014

अल्युमीनियम

- पहला पुरस्कार : सेसा स्टरलाइट लिमिटेड, झारसुगुडा (ओडिशा)
मेरिट प्रमाणपत्र : सेसा स्टरलाइट लिमिटेड, झारसुगुडा (ओडिशा)

मोटर वाहन निर्माण

- पहला पुरस्कार : अशोक लेलैंड, यूनिट-2, पेरांडापल्ली, होसूर (तमिल नाडु)
दूसरा पुरस्कार : टाटा मोटर्स लिमिटेड, धारवाड़ (कर्नाटक)

सीमेंट (क्विलंकर और ग्राइंडिंग यूनिट)

- दूसरा पुरस्कार : 1. दि केसीपी लिमिटेड, यूनिट-2, कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश)
2. डायमंड सीमेंट प्रोपा. हैडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, दमोह (मध्य प्रदेश)
मेरिट प्रमाणपत्र : जेपी सीधी सीमेंट प्लांट, सीधी (मध्य प्रदेश)

सीमेंट (ग्राइंडिंग यूनिट)

- मेरिट प्रमाणपत्र : 1. एसीसी लिमिटेड, ठोंडेभवी सीमेंट वर्क्स, चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक)
2. दि राम्को सीमेंट्स लिमिटेड, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, वलापाडी (तमिल नाडु)

सेरामिक्स:

- मेरिट प्रमाणपत्र : एचएसआईएल लिमिटेड, सेरामिक डिवीजन-2, बीबीनगर

केमिकल्स

- पहला पुरस्कार : रॉम एंड हास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, तलोजा यूनिट रायगाड, तलोजा (महाराष्ट्र)
दूसरा पुरस्कार : आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बरनाला (पंजाब)

क्लोर-अल्कली

- पहला पुरस्कार : आदित्य बिरला केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड केमिकल डिवीजन, रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)

उपभोक्ता वस्तु निर्माण

- पहला पुरस्कार : यूनिलीवर इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कांडला (गुजरात)
दूसरा पुरस्कार : हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब)

डेयरी

- पहला पुरस्कार : हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना)
दूसरा पुरस्कार : सूरत डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, सुमूल डेयरी, सूरत (गुजरात)

ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स

- पहला पुरस्कार : सिपला लिमिटेड, पिथमपुर (मध्य प्रदेश)
दूसरा पुरस्कार : एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, पीरुकादा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (केरल)

खाद्य तेल / वनस्पति

- दूसरा पुरस्कार : रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैकामपाडी, मंगलौर (कर्नाटक)
मेरिट प्रमाणपत्र : रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश)

विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)

- पहला पुरस्कार : 1. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)
: 2. केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, पट्टम, तिरुवनंतपुरम (केरल)
दूसरा पुरस्कार : बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड, बेंगलुरु (कर्नाटक)
मेरिट प्रमाणपत्र : दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, सूरत (गुजरात)

उर्वरक (यूरिया)

- पहला पुरस्कार : नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पानीपत (हरियाणा)
दूसरा पुरस्कार : गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, भरुच (गुजरात)

उर्वरक (फॉस्फेट)

- मेरिट प्रमाणपत्र : दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योग मंडल कॉम्पलेक्स-फर्टिलाइजर प्लांट, एर्नाकुलम (केरल)

फूड प्रोसेसिंग

- दूसरा पुरस्कार : हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कॉफी प्लांट-होसूर (तमिल नाडु)
मेरिट प्रमाणपत्र : 1. यूनिलीवर इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एटा (उत्तर प्रदेश)
2. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बड्डी (हिमाचल प्रदेश)

फाउंड्री

- मेरिट प्रमाणपत्र : श्रीनिवास इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नवलख उम्रे, पुणे (महाराष्ट्र)

सामान्य वर्ग

- पहला पुरस्कार : हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी (एजी-डीएसएम) (कर्नाटक)
दूसरा पुरस्कार : किलोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड, लार्ज इंजिन प्लांट, नाशिक (महाराष्ट्र)
मेरिट प्रमाणपत्र : मॉड्युलर फ़ैब्रिकेशन फ़ैसिलिटी, एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, सूरत (गुजरात)

सामान्य श्रेणी (ईसी पुरस्कार के उप क्षेत्र)

- पहला पुरस्कार : वडोदरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन, वडोदरा (गुजरात)
दूसरा पुरस्कार : उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड, वर्धा (महाराष्ट्र)
मेरिट प्रमाणपत्र : असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, हरिद्वार (उत्तराखंड)



इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स

दूसरा पुरस्कार : भिलाई स्टील प्लांट, सेल, भिलाई (छत्तीसगढ़)

माइनिंग

पहला पुरस्कार : नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, माइन-1 नेवेली (तमिल नाडु)

दूसरा पुरस्कार : सुकिंडा क्रोमाइट माइन्स-क्रोम ओर बेनेफिसिएशन प्लांट, जाजपुर (ओडिशा)

पेपर एंड पल्प

पहला पुरस्कार : बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट-श्री गोपाल, यमुना नगर (हरियाणा)

दूसरा पुरस्कार : शेषसायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड यूनिट: एरोड (तमिल नाडु)

मेरिट प्रमाणपत्र : 1. ट्राइडेंट लिमिटेड, बरनाला (पंजाब)
2. आईटीसी लिमिटेड, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशिएल्टी पेपर डिवीजन यूनिट: त्रिबेनी (पश्चिम बंगाल)

पेट्रोकेमिकल्स

पहला पुरस्कार : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड – नागोथाने मैन्यूफैक्चरिंग डिवीजन, रायगड (महाराष्ट्र)

मेरिट प्रमाणपत्र : 1. पानीपत नैपथा क्रैकर, पानीपत (हरियाणा)
2. एशियन पेंट्स थ्यालिक डिवीजन, अंकलेश्वर (गुजरात)

प्लास्टिक्स

पहला पुरस्कार : नीलकमल लिमिटेड, वलुदावूर (पुदुच्चेरी)

रिफाइनरी

पहला पुरस्कार : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड – मुंबई रिफाइनरी (महाराष्ट्र)

दूसरा पुरस्कार : इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बोंगाईगांव रिफाइनरी (असम)

मेरिट प्रमाणपत्र : एस्सार ऑयल लिमिटेड, वाडीनर-जामनगर (गुजरात)

क्षेत्रीय रेलवे

पहला पुरस्कार : मध्य रेलवे, सीएसटी मुंबई (महाराष्ट्र)

दूसरा पुरस्कार : दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंद्राबाद (तेलंगाना)

मेरिट प्रमाणपत्र : 1. पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
2. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
3. उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

रेलवे वर्कशॉप

पहला पुरस्कार : इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ), चेन्नई (तमिल नाडु)

दूसरा पुरस्कार : डीजल लोको शेड, विजयवाडा डिवीजन, विजयवाडा (आंध्र प्रदेश)

- मेरिट प्रमाणपत्र : 1. इलेक्ट्रिकल लोको शेड, पूर्वी रेलवे आसनसोल (पश्चिम बंगाल)
2. कैरेज वर्कशॉप, लल्लागुडा (तेलंगाना)

रेलवे स्टेशन

- पहला पुरस्कार : इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश)
दूसरा पुरस्कार : साबरमती रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद डिवीजन, पश्चिम रेलवे (गुजरात)
मेरिट प्रमाणपत्र : 1. मधुपुर रेलवे स्टेशन (झारखंड)
2. अंधेरी रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र)

राज्य सड़क परिवहन निगम और उपक्रम

- दूसरा पुरस्कार : नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, गुलबर्गा (कर्नाटक)
मेरिट प्रमाणपत्र : स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तमिलनाडु लिमिटेड, चेन्नई (तमिल नाडु)

सोप एंड डिटर्जेंट

- मेरिट प्रमाणपत्र : हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

चीनी

- पहला पुरस्कार : के.सी.पी. सुगर एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, वुयुरु (आंध्र प्रदेश)
दूसरा पुरस्कार : ईआईडी पैरी (इंडिया) लिमिटेड, पुदुक्कोट्टई (तमिल नाडु)

स्टील रि-रोलिंग

- दूसरा पुरस्कार : श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड (टीएमटी डिवीजन), रायपुर (छत्तीसगढ़)
मेरिट प्रमाणपत्र : इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड, समखियाली, कच्छ (गुजरात)

टेक्सटाइल्स

- पहला पुरस्कार : अरविंद लिमिटेड, गांधीनगर (गुजरात)
दूसरा पुरस्कार : आरती इंटरनेशनल लिमिटेड, लुधियाना (पंजाब)
मेरिट प्रमाणपत्र : मराल ओवरसीज लिमिटेड-सरोवर प्लांट, खरगोन (मध्य प्रदेश)

टायर

- पहला पुरस्कार : जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नई (तमिल नाडु)

कार्यालय भवन (10 लाख कि.वा.घं/वर्ष से अधिक खपत वाले)

- पहला पुरस्कार : इंफोसिस लिमिटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक-2, चेंगलपेट (तमिल नाडु)
दूसरा पुरस्कार : उत्तर रेलवे, लखनऊ डिवीजन (उत्तर प्रदेश)
मेरिट प्रमाणपत्र : इंफोसिस लिमिटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक-1, चेंगलपेट (तमिल नाडु)

कार्यालय भवन (10 लाख कि.वा.घं/वर्ष से कम खपत वाले)

- पहला पुरस्कार : दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद डिवीजन, हैदराबाद (तेलंगाना)
दूसरा पुरस्कार : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, श्रीराम टावर, खैराबाद (तेलंगाना)



बीपीओ बिल्डिंग

पहला पुरस्कार : जेनपैक्ट इंडिया, सीतापुरा, जयपुर (राजस्थान)

पेट्रोलियम पाइपलाइन्स

मेरिट प्रमाणपत्र : मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन, कोटा (राजस्थान)

होटल (5 सितारा और अधिक)

पहला पुरस्कार : जेपी वसंत कांटीनेंटल, वसंत विहार (नई दिल्ली)

दूसरा पुरस्कार : दि वेस्टिन हैदराबाद माइंडस्पेस, माधापुर (तेलंगाना)

मेरिट प्रमाणपत्र : 1. दि लीला पैलेस, बंगलौर (कर्नाटक)
2. विवांता बाई ताज प्रेसीडेंट मुंबई (महाराष्ट्र)

होटल (4 सितारा और कम)

मेरिट प्रमाणपत्र : रेड फॉक्स होटल, हाइटेक सिटी, हैदराबाद (तेलंगाना)

हॉस्पिटल (10 लाख कि.वा.घं./वर्ष से अधिक खपत)

पहला पुरस्कार : फोर्टिस हॉस्पिटल, बैनरघट्टा, बेंगलुरु (कर्नाटक)

दूसरा पुरस्कार : हीरानंदानी हॉस्पिटल—ए फोर्टिस नेटवर्क हॉस्पिटल, मुंबई (महाराष्ट्र)

मेरिट प्रमाणपत्र : 1. सेंट्रल हॉस्पिटल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली

हॉस्पिटल (10 लाख कि.वा.घं./वर्ष से कम खपत)

पहला पुरस्कार : डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे, राजकोट (गुजरात)

दूसरा पुरस्कार : डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल, उत्तर रेलवे, अंबाला कैंट (हरियाणा)

मेरिट प्रमाणपत्र : एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

राज्य नामित एजेंसियां

पहला पुरस्कार : एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, तिरुवनंतपुरम (केरल)

दूसरा पुरस्कार : महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (मेडा), पुणे (महाराष्ट्र)

मेरिट प्रमाणपत्र : 1. कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड (कर्नाटक)
2. अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (अरुणाचल प्रदेश)

थर्मल पावर स्टेशन (100 मेगावाट क्षमता से अधिक – गैस चालित प्लांट्स)

पहला पुरस्कार : एनटीपीसी लिमिटेड, अंता गैस पावर स्टेशन, अंता (राजस्थान)

थर्मल पावर स्टेशन (100 मेगावाट क्षमता से अधिक – कोयला चालित प्लांट्स)

पहला पुरस्कार : लेंको अनपरा पावर लिमिटेड, अनपरा (उत्तर प्रदेश)

दूसरा पुरस्कार : अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा (उत्तर प्रदेश)

थर्मल पावर स्टेशन (100 मेगावाट क्षमता से कम – कोयला और गैस चालित प्लांट्स)

पहला पुरस्कार : मेघालय पावर लिमिटेड यूनिट-1, लम्शनॉंग, ईस्ट जैंतिया हिल्स (मेघालय)

ऑर्डनेंस फैक्टरी

पहला पुरस्कार : हाई एक्सप्लोसिब्ल्स फैक्टरी, खडकी, पुणे (महाराष्ट्र)

दूसरा पुरस्कार : ऑर्डनेंस फैक्टरी देहरादून (उत्तराखंड)

मेरिट पुरस्कार : गन एंड शेल फैक्टरी, कोसीपोर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरण (रेफ्रिजरेटर) निर्माता

पहला पुरस्कार : गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, पिरोजशानगर, विक्रोली (महाराष्ट्र)

दूसरा पुरस्कार : हिताची होम एंड लाइफ सॉल्यूशंस (इंडिया) लिमिटेड, कडी, मेहसाणा (गुजरात)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरण (एयर कंडीशनर) निर्माता

पहला पुरस्कार : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, ग्रेटर नौएडा (उत्तर प्रदेश)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरण (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर) निर्माता

पहला पुरस्कार : तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेडक (तेलंगाना)

दूसरा पुरस्कार : शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कडप्पा (आंध्र प्रदेश)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरण (पंप सेट) निर्माता

पहला पुरस्कार : एक्वासब इंजीनियरिंग, थुडियालूर, कोयंबटूर (तमिल नाडु)

दूसरा पुरस्कार : टैक्समो इंडस्ट्रीज, कोयंबटूर (तमिल नाडु)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरण (सीलिंग फैन) निर्माता

पहला पुरस्कार : क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड, पोंडा (गोवा)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरण (स्टोरेज वाटर हीटर) निर्माता

पहला पुरस्कार : रैकोल्ड थर्मो लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र)

दूसरा पुरस्कार : बजाज इलेक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली

मेरिट प्रमाणपत्र : ए.ओ. स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर (कर्नाटक)

शॉपिंग मॉल्स

पहला पुरस्कार : शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, लातूर (महाराष्ट्र)

दूसरा पुरस्कार : शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, एमजीएफ साकेत (नई दिल्ली)

मेरिट प्रमाणपत्र : शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)



स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

मासूम बच्चों ने स्वच्छ, हरित और ऊर्जा सक्षम भविष्य के लिए कल्पना के संसार का चित्रण किया। बच्चों ने ऊर्जा संरक्षण पर उपयोगी विचार भी दिए। स्कूल जाने वाले बच्चों ने न केवल अपने अभिभावकों, भाइयों और बहनों अपितु अन्य जैसे शिक्षकों, पड़ोसियों इत्यादि को भी शामिल करते हुए समाज में अपेक्षित बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।


इस दृष्टिकोण से, स्कूली बच्चों को घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा दक्षता के प्रति संवेदनशील बनाते हुए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) श्रेणी 'ए' के अंतर्गत 4थी, 5वीं व 6ठी कक्षा के लिए तथा श्रेणी 'बी' के अंतर्गत 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करके पैन इंडिया राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाता है।



यह प्रतियोगिता तीन चरणों, नामतः स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। राज्य स्तर के विजेताओं को प्रति राज्य/संघ क्षेत्र प्रति श्रेणी रु. 70,000 मूल्य के नकद पुरस्कार (36 राज्यों/संघ क्षेत्र प्रति वर्ग हेतु रु. 25.20 लाख या दोनों श्रेणियों हेतु रु. 50.40 लाख) वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की दोनों श्रेणियों के विजेताओं के लिए, रु. 10.35 लाख मूल्य के नकद पुरस्कार 14 दिसंबर 2014 को प्रदान किए गए। एक करोड़ से अधिक छात्रों ने 2015 के दौरान भाग लिया।

2014 में योजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:

- ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2014 काफी सफल रही।
- देश भर में, 1,00,000 से कुछ अधिक स्कूलों से 60.17 लाख छात्रों ने भाग लिया। प्रतिभागिता पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 33% अधिक रही।
- माननीय विद्युत, कोयला तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्तर के 19 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।



1.7.2 राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)

राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है। एनएमईईईई का उद्देश्य सहायक विनियामक और नीतिगत व्यवस्था का सृजन करते हुए ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार को मजबूत करना है और यह ऊर्जा दक्षता क्षेत्र को नवप्रवर्तक एवं धारणीय बिजनेस मॉडल का पोषण करता है।

एनएमईईईई ऊर्जा प्रभावी उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए चार पहलें तैयार की जो निम्न प्रकार से हैं:

1. निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार योजना (पीएटी), अतिरिक्त ऊर्जा बचतों के प्रमाणन के माध्यम से लागत प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए संबद्ध बाजार आधारित प्रणाली सहित, ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक विनियामक उपाय जिनका व्यापार किया जा सकता है।
2. ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार रूपांतरण (एमटीईईई), उत्पादों को अधिक किफायती बनाने के लिए नामित क्षेत्रों में अभिनव उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम उपकरणों को अपनाने के लिए।
3. ऊर्जा दक्षता वित्तीय मंच (ईईएफपी), भविष्य की ऊर्जा बचतें हासिल करते हुए सभी क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के वित्तीयन में मदद करने वाली प्रणालियों के सृजन के लिए।
4. ऊर्जा सक्षम आर्थिक विकास हेतु ढांचा (एफईईईडी), ऊर्जा दक्षता के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय उपायों के विकास के लिए।

यह मिशन ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार जो लगभग रु. 74,000 करोड़ का होने का अनुमान है को खोलने के प्रयासों का स्तर बढ़ाना और कार्यान्वयन के पूर्ण होने पर 19,598 मेगावाट की कुल बची हुई अतिरिक्त क्षमता वृद्धि, लगभग 23 मिलियन टन प्रति वर्ष की ईंधन बचत और 98.55 मिलियन टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी करने में मदद करना चाहता है।



मंत्रिमंडल द्वारा 6 अगस्त 2014 को रु. 775 करोड़ के कुल प्रावधान सहित एनएमईईई को जारी रखने का अनुमोदन किया। रु. 775 करोड़ के प्रावधान में शामिल है:

- (क) निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) योजना हेतु रु. 190 करोड़
- (ख) ऊर्जा सक्षम आर्थिक विकास हेतु ढांचा (एफईईईडी) तथा ऊर्जा दक्षता वित्तीय मंच (ईईएफपी) योजनाओं हेतु रु. 462.50 करोड़ तथा
- (ग) ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार रूपांतरण (एमटीईई) हेतु रु. 122.50 करोड़ जिसमें पंखों के लिए सुपर सक्षम उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) हेतु रु. 100 करोड़ तथा बचत लैंप योजना (बीएलवाई) हेतु रु. 22.50 करोड़ शामिल है।

एनएमईईई की चारों पहलों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

(i) निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी):

पीएटी के पहले चक्र (2012-13 से 2014-15) में, 8 क्षेत्रों (अल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, पेपर एंड पल्प, थर्मल पावर, टेक्सटाइल) में 478 औद्योगिक इकाइयों को अपनी विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) यानी उत्पादन की प्रति इकाई में उपयोग की गई ऊर्जा को कम करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई हेतु कमी का लक्ष्य उनके ऊर्जा दक्षता के वर्तमान स्तरों पर आधारित है, जिससे ऊर्जा सक्षम इकाइयों के पास कम ऊर्जा सक्षम इकाइयों जिनके पास उच्चतर लक्ष्य होंगे की तुलना में प्रतिशत कमी का लक्ष्य न्यून होगा। कुल मिलाकर, कुल ऊर्जा खपत कमी का लक्ष्य इन उद्योगों की कुल ऊर्जा खपत में 4.05% कमी लाकर कुल 6.686 मिलियन टन के तेल समतुल्य की ऊर्जा बचत करना है।

एसईसी स्तर को प्राप्त कर सकने वाली इकाइयां जो अपने लक्ष्य से न्यूनतर हैं अपनी अतिरिक्त बचतों के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससर्ट्स) प्राप्त कर सकती हैं। ईएससर्ट्स पावर एक्सचेंजों पर बेचे और पीएटी के अंतर्गत अन्य इकाइयों द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो अपनी अनुपालन जरूरतें पूरा करने के लिए उनका उपयोग कर सकती हैं। जो इकाइयां अपने कार्य या ईएससर्ट्स के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं वे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय जुर्माने के भागी होंगे। इसके बाद प्रतिभागी औद्योगिक क्षेत्रों और इकाइयों की अधिक संख्या के लिए अधिक सख्त ऊर्जा संरक्षण मानदंडों और मानकों सहित दूसरे और पश्चातवर्ती चक्र चलाए जायेंगे।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने निगरानी एवं सत्यापन (एमएंडवी) प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट सामान्यीकरण कारकों सहित क्षेत्र विशिष्ट फॉर्म-1 (वार्षिक ऊर्जा रिटर्न फॉर्म) तैयार किया है। विशेषज्ञों की क्षेत्र विशिष्ट तकनीकी समितियों ने आठ क्षेत्रों के डीसी तथा उनके प्रतिनिधि संघों/अन्य हितधारकों के परामर्श से आठ क्षेत्रों के लिए 13 क्षेत्र विशिष्ट प्रोफार्मा तैयार किए हैं जहां कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा खपत तथा उत्पाद उत्पादन के संबंध में इकाई के पूरे ब्योरे को निहित करने के लिए एक से अधिक फॉर्म की जरूरत थी।

बीईई ने ऊर्जा लेखापरीक्षकों के प्रत्यायन की प्रक्रिया स्थापित की है जो डीसी के प्रदर्शन का आकलन करने की एमएंडवी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे। 179 ऊर्जा लेखापरीक्षकों का प्रत्यायन पूर्ण हो चुका है और पीएटी का एमएंडवी करने के लिए 53 प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षा फर्म बीईई के साथ पैनलबद्ध की जा चुकी हैं।

क्षेत्र विशिष्ट प्रोफार्मा, सामान्यीकरण पद्धति तथा निगरानी एवं सत्यापन दिशानिर्देश सहित संशोधित फॉर्म-1 पर नामित उपभोक्ताओं (डीसीज), प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षकों (ईईएस) तथा राज्य नामित एजेंसियों (एसडीएज) के क्षमता निर्माण के लिए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, हैदराबाद और अहमदाबाद में माह मार्च 2015 में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं संचालित की गई हैं। पुनश्च, एमएंडवी प्रक्रिया की बेहतर समझ के लिए विभिन्न स्थानों पर ऐसी अन्य कार्यशालाएं संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए मसौदा नियमों/विनियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अंतिम रूप देने तथा अधिसूचना के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। व्यापार मंच के कोष के विकास हेतु, पोसोको को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के व्यापार के कोष के तौर पर चिन्हित किया गया है। डाटा रिपोर्टिंग, ईएससर्ट्स, तथा अन्य के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पैटनेट प्रचालनरत है।

पीएटी चक्र 1, 31 मार्च 2015 को पूरा हो चुका है। 1 अप्रैल 2015 से 14 अगस्त 2015 तक निगरानी एवं सत्यापन चरण था। डीसीज के निष्पादन का सत्यापन प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षक फर्मों द्वारा किया गया। उसके बाद ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों का निर्गम आरंभ होगा और सितंबर से नवंबर तक, पावर एक्सचेंजों पर इन प्रमाणपत्रों का लेन-देन किया जाएगा।

• पीएटी II की तैयारी

सीमाओं को समान रखते हुए तथा कुछ क्षेत्रों जैसे आयरन एंड स्टील तथा पल्प एंड पेपर में सीमा को घटाते हुए अधिक डीसीज को शामिल करने के लिए पीएटी "गहन करना" प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ताकि अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां ऊर्जा वृद्धि योजना में भाग ले सकें। इस अध्ययन के अंतर्गत 207 नए डीसीज को चिन्हित किया गया है।

पीएटी को "व्यापक बनाना" यानी पीएटी में अधिक क्षेत्रों का समावेश आरंभ हो गया है। रिफाइनरी, विद्युत, डिस्कॉमस और रेलवे को पीएटी चक्र 2 में शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है।

नामित उपभोक्ताओं, प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षकों तथा राज्य नामित एजेंसियों की सामान्यीकरण प्रक्रिया तथा रिपोर्टिंग प्रारूपों पर 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चंडीगढ़ में संपन्न हुई।

डीसीज से संग्रह किए गए आधारभूत डाटा भरे हुए प्रोफार्मा नमूना आधार पर सत्यापित किए गए और एमएंडवी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए डीसीज को वापस भेजे गए।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए "प्रो-फार्मा और सामान्यीकरण समीकरण" तथा सामान्यीकरण दस्तावेज तथा निगरानी एवं सत्यापन दिशानिर्देश" पर तैयार की गई पुस्तक, छप चुकी है और इसकी प्रतियां सभी डीसीज, ईईएस तथा एसडीएज को भेजी जा चुकी हैं।

(ii) ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार रूपांतरण (एमटीईई):

एमटीईई के अंतर्गत, दो कार्यक्रम यानी बचत लैंप योजना (बीएलवाई) तथा सुपर सक्षम उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) विकसित किए गए हैं।



- **बचत लैंप योजना (बीएलवाई):**

वर्तमान में, बीएलवाई के अंतर्गत, बीईई तकनीकी विशिष्टीकरण तय करने तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को वितरित एलईडी बल्बों से ऊर्जा बचतों की निगरानी तथा सत्यापन के लिए रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) को सहयोग प्रदान करता है।

- **एलईडी वितरण:**

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लगभग 274 मिलियन यूनिट विद्युत की अनुमानित बचत सहित 4.5 मिलियन एलईडी लाइटें घरेलू उपभोक्ताओं को तथा 90,000 एलईडी स्ट्रीट लाइटें वितरित की गई हैं।

- **सुपर सक्षम उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी):**

सुपर सक्षम उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) नामक नया कार्यक्रम एमटीईई के अंतर्गत अन्य घटक है। एसईईपी कार्यक्रम को हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण बिंदु/ओं पर अभिनव रूप से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सुपर सक्षम उपकरणों के लिए बाजार रूपांतरण में तीव्रता लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सीलिंग फैन को पहले उपकरण के तौर पर चिन्हित किया गया है। इसका लक्ष्य वर्तमान में भारतीय बाजार में बिक रहे 70 वाट से अधिक रेटिंग के औसत सीलिंग फैन के मुकाबले सुपर सक्षम 35 वाट सीलिंग फैन की शुरुआत और वितरण को सहयोग प्रदान करना है। सीलिंग फैन के लिए एसईईपी के अंतर्गत, 12वीं योजना में रु. 100 करोड़ के प्रावधान सहित 2 मिलियन सुपर सक्षम फैन के वितरण का लक्ष्य है।

कार्यक्रम के मुख्य हितधारकों जैसे कि पंखा निर्माण प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शैक्षिक एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श पूरा हो चुका है।

मुख्य तकनीकी विशिष्टीकरणों को अंतिम रूप दे दिया गया है। परीक्षण क्षमता का आकलन और परीक्षण प्रोटोकॉल्स का विकास पूरा हो गया है। निगरानी और सत्यापन हेतु स्वतंत्र एजेंसी को पहले ही नियोजित किया गया है। मुक्त प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सुपर सक्षम पंखा निर्माताओं के एक पैनल का चयन किया गया है।

- (iii) ऊर्जा दक्षता वित्तीय मंच (ईईएफपी):**

ईईएफपी का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थानों और परियोजना डेवलपर्स के साथ संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता बाजार के विकास तथा ऐसे बाजार के विकास से संबंधित मुद्दों की पहचान के लिए मिलकर काम करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ एमओयू'ज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्तीय को प्रोत्साहन देने के लिए बीईई द्वारा मै. पीटीसी इंडिया लि., मै. सिडबी, एचडीएफसी बैंक, टाटा कैपिटल तथा आईएफसीआई लि. के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन एमओयू का मुख्य उद्देश्य निष्पादन अनुबंध, डीएसएम पहलों, वाणिज्यिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक परिसरों, विद्युत संयंत्रों इत्यादि में ऋण को प्रोत्साहन देना है। 2014-15 में, "भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में वित्तीय मुद्दों का समाधान" पर दो सम्मेलन पुणे और चंडीगढ़ में तथा वित्तीय संस्थानों और ईएससीओ'ज के लिए दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं दिल्ली और मुंबई में आयोजित की गई हैं।

बीईई ऊर्जा दक्षता वित्तीयन पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, ऋण अधिकारियों तथा जोखिम प्रबंधकों की क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने तथा ईई परियोजनाओं, बिजनेस मॉडलों, वित्तीय जरूरतों और जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों की तकनीकी और आर्थिक विशेषताओं पर एक निरीक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

बीईई ने “भारत में वित्तपोषित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की सफलता गाथा” पर एक पुस्तिका भी तैयार की है। सिडबी द्वारा वित्तपोषित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की 50 सफल कहानियों की इस पुस्तिका में देश भर में ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं अपनाने वाले 20 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

(iv) ऊर्जा सक्षम आर्थिक विकास हेतु ढांचा (एफईईडी)

ऊर्जा सक्षम आर्थिक विकास हेतु ढांचा (एफईईडी), अभिनव वित्तीय उपायों तथा ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी कोष (पीआरजीएफईई) तथा ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफईई) जैसे नीतिगत उपायों सहित ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय उपायों का विकास करने का इच्छुक है।

➤ ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी कोष (पीआरजीएफईई)

ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी कोष (पीआरजीएफईई) वित्तीय संस्थानों को ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने में निहित जोखिम की आंशिक भरपाई करने का जोखिम साझा तंत्र है। भुगतान की गई रकम बकाया मूलधन के सहमत प्रतिशत के बराबर होगी और इसमें बैंक को देय ब्याज और अन्य शुल्क शामिल नहीं होंगे। यह गारंटी प्रति परियोजना रु. 3 करोड़ या ऋण राशि के 50%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी कोष सरकारी भवनों, वाणिज्यिक और बहुमंजिले आवासीय निवासों वाले निजी भवनों, नगरपालिकाओं, लघु एवं मध्यम उद्यमों और उद्योगों के लिए उपलब्ध होगा।

कार्यान्वयन की स्थिति / योजना की गतिविधियां

- i) पर्यवेक्षण समिति गठित की गई है और इसकी दो बैठकें आयोजित की गई
- ii) पीआरजीएफईई नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं
- iii) पीआरजीएफईई के प्रचालन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त कर दी गई है

➤ ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफईई)

ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफईई) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करने वाला कोष है। कोष द्वारा एकल निवेश रु. 2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। यह कोष विशिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को, कुल अपेक्षित इक्विटी के अधिकतम 15% तक सीमित, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से या रु. 2 करोड़, जो भी कम हो, का अंतिम चरण सहयोग प्रदान करेगा। वीसीएफईई के अंतर्गत सहयोग सरकारी भवनों, वाणिज्यिक और बहुमंजिले आवासीय निवासों वाले निजी भवनों, तथा नगरपालिकाओं के लिए सीमित है।



वीसीएफईई के कार्यान्वयन की स्थिति

- i) वीसीएफईई के ट्रस्ट का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और ट्रस्ट डीड दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उप रजिस्ट्रार से पंजीकृत कराई गई।
- ii) वीसीएफईई हेतु ट्रस्टी मंडल गठित किया गया है।
- iii) वीसीएफईई के प्रचालन हेतु कोष प्रबंधक को चिन्हित किया गया है।

➤ वित्तीय प्रोत्साहन

बीईई ऊर्जा दक्षता के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट में कर छूटों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों सहित) के लिए प्रस्ताव करता रहता है। 2012–13 के केंद्रीय बजट में, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं:

- कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंपों (सीएफएल) के निर्माण में प्रयोग हेतु ट्राइ बैंड फॉस्फोर को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट दी गई है।
- एलईडी लैंपों के निर्माण हेतु अपेक्षित एलईडी को भी विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जा रही है।
- एलईडी पर एक्साइज ड्यूटी 10% से घटाकर 6% कर दी गई है। 2013–14 के केंद्रीय बजट में, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उद्यम पूंजी कोष के तौर पर स्थापित श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) हेतु 'निकासी' स्थिति की घोषणा की है जिसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफईई) की आय को आय कर के अंतर्गत छूट दी जाएगी।

2015–16 में, एलईडी लाइटों, फिक्सचर्स और एलईडी लैंपों हेतु एलईडी ड्राइवर्स और एमसीपीसीबी के निर्माण में प्रयोग हेतु इनपुट्स पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 6% कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, एलईडी लाइटों, फिक्सचर्स और एलईडी लैंपों हेतु एलईडी ड्राइवर्स और एमसीपीसीबी के निर्माण में प्रयोग हेतु इनपुट्स पर विशेष अतिरिक्त ड्यूटी 4% से घटाकर शून्य कर दी गई है।

2

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.2 बहुपक्षीय कार्यक्रम – जारी



2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

2.1.1 भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

1. भारत जर्मन ऊर्जा फोरम (IGEF)

दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति और इस्तेमाल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री, श्री मनमोहन सिंह ने 2006 में हनोवर प्रदर्शनी के दौरान भारत-जर्मन ऊर्जा फोरम (आईजीईएफ) की स्थापना की गई थी।

जर्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंध, भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी संबंधों में से एक हैं। इसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है जिसमें केएफडब्ल्यू से ऋणों के जरिये उद्योग, इमारतें, ऊर्जा कुशलता, थर्मल पावर प्लांटों में ट्रिजेनेरेशन, कुशलता में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। भारत जर्मन ऊर्जा फोरम के अंतर्गत तीन उप-समूह बनाए गए हैं। उप-समूह 1 में जीवाश्म आधारित विद्युत संयंत्रों में कुशलता बढ़ाना, उप-समूह 2 में नवीकरणीय ऊर्जा और उप-समूह 3 में मांग पक्ष ऊर्जा कुशलता और अल्प कार्बन विकास योजनाएं शामिल हैं। उप-समूह 3 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एफेयर्स एंड एनर्जी (BMWi), और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द इन्वायरमेंट, नेचर, कंजर्वेशन, बिल्डिंग एंड न्यूक्लीयर सेफ्टी (BMUB) अपने-अपने देशों में ऊर्जा कुशलता बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह दोनों देशों में सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय-निर्धारकों के बीच रचनात्मक वार्ता को सुगम बनाने से संभव हो पाया है।

ऊष्मा और विद्युत के संयुक्त उत्पादन के अवसरों पर काफी समय से बात हो रही है और अब GIZ के सहयोग से जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में एक डीमो ट्रिजेनेरेशन प्लांट की स्थापना की गई है। GIZ देश में ट्रिजेनेरेशन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए EESL के साथ संगठनात्मक स्तर पर सहयोग करने करने की इच्छुक है और जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में जर्मन मिनिस्ट्री फॉर द इन्वायरमेंट, नेचर, कंजर्वेशन एंड न्यूक्लीयर सेफ्टी (BMU) की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत वित्तपोषित परियोजना के जरिये इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। इस संबंध में टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 26 अगस्त, 2013 को दिल्ली में EESL और FICCI के साथ एक बहु-हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भारत में ट्रिजेनेरेशन टेक्नोलॉजी की वित्तीय व्यवहार्यता का अभी पता लगाया जाना है।

आवासीय भवनों के क्षेत्र में, फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट और टेरी ने मिलकर एक एनर्जी परफॉरमेंस टूल विकसित किया है जो भारत में आवासीय भवनों में विभिन्न ऊर्जा कुशल उपायों के लिए ऊर्जा बचत की संभावनाओं का आकलन करता है। यह टूल सितंबर, 2012 में शुरू किया गया था और यह भारत में ऊर्जा कुशल आवासीय घरों के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ केएफडब्ल्यू के सहयोग का हिस्सा है और भवन के क्षेत्र में राष्ट्रीय बीईई लेबलिंग योजना के संभावित रोल आउट के लिए आवासीय भवनों में ऊर्जा की बचत की संभावना का पता लगाने के लिए इस समय ऊर्जा कुशल घरों के लिए एनएचबी लेबल का विकास किया जा रहा है, इस संबंध में एक पूर्व-अध्ययन शुरू किया गया है। हाल ही में, बीईई ने "ऊर्जा कुशल बहुमंजिला आवासीय भवनों के लिए डिजाइन दिशानिर्देश" लांच किए हैं और एनएचबी द्वारा गठित कार्यबल बीईई और केएफडब्ल्यू के पास है।

विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट आधारित ज्ञान प्लेटफार्म तैयार करने के लिए जर्मन ने bigEE के नाम से एक पहल शुरू की है जिसका अर्थ है “ऊर्जा कुशलता संबंधी सूचना के अभाव को दूर करना”। ईएससीओ संबंधी डाटा, अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और मामला अध्ययनों को bigEE प्लेटफार्म में शामिल करना ताकि ईएससीओ मॉडल्स संबंधी भवनों के लिए वन स्टॉम शॉप मुहैया कराई जा सकें।

ईईएसएल के प्रयास में सहायता करने के लिए नवंबर, 2010 में भारत और जर्मन की सरकारों के बीच परामर्श के दौरान दोनों सरकारों ने “सार्वजनिक भवनों और अवसंरचनाओं में ऊर्जा कुशलता” कार्यक्रम के लिए ईईएसएल को रियायती शर्तों पर केएफडब्ल्यू (जर्मन विकास बैंक) से 50 मिलियन यूरो के ऋण पर सहमति जताई थी। इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक भवनों और अन्य अवसंरचनाओं जैसे नगर निगम अवसंरचनाओं या कृषि पंपिंग में ऊर्जा कुशल परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा। इसके अलावा, केएफडब्ल्यू ने इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रारंभिक उपायों के लिए ईईएसएल को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने पर भी सहमति जताई है। अनुदान (टीए) का इस्तेमाल ऊर्जा कुशल निवेश परियोजनाओं के लिए तैयारी करने हेतु विशेषज्ञ सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

आईजीईएफ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सहित ऑफिसों का सपोर्ट करता है और इसने मांग पक्ष ऊर्जा कुशलता के लिए प्रोत्साहन योजनाओं पर विचारार्थ विषय तैयार किया है – भारत-जर्मन के बीच अनुभव का आदान-प्रदान और अध्ययन करने के लिए एडेल्फी का चयन किया है। अध्ययन की कार्यपद्धति और स्कोप को नई दिल्ली में 6 दिसंबर, 2013 को उप-समूह 3 की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों (भवन, घर, उद्योग, परिवहन) के लिए जर्मनी में लिखितपत्र (कमांड और कंट्रोल, आर्थिक इन्सेंटिव, केएफडब्ल्यू सॉफ्ट लोन) और टेक्नोलॉजी तैयार की गई है और अंतिम मसौदे को जर्मनी की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। भारत की ओर से रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

इस फोरम के साथ कुछ और उप-समूहों के साथ कुछ सिनर्जियों का भी पता लगाया जाएगा। उप-समूह 1 के अंतर्गत सहयोग का मुख्य क्षेत्र थर्मल पावर प्लांटों के लिए बॉयलर सूट ब्लोअर ऑटोमेशन है। आयरन और स्टील तथा एल्युमिनियम, जो पीएटी योजना के अंतर्गत आते हैं, जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में इसी टेक्नोलॉजी के कुछ अध्ययनों पर विचार किया जा सकता है।

2. भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन)

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग 1995 से लेकर चला आ रहा है, जब टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पूर्व संगठन द्वारा मई, 1995 में पहले भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। यह परियोजना सितंबर, 2000 में पूरी हुई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 बनाए जाने और 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के समर्थन में नीतियों और कार्यक्रमों के समर्थन के उद्देश्य से ‘भारत-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम’ (आईजीईएन), परियोजना के तहत ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग जारी रहा है।

चरण-1 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से अक्टूबर, 2009 से सितंबर, 2013 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए चरण-2 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।



2.1.2 भारत-जापान ऊर्जा वार्ता

दिसंबर, 2006 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के परिणामस्वरूप योजना आयोग के उपध्यक्ष और एमईटीआई के मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-जापान ऊर्जा वार्ता शुरू की गई थी। भारत-जापान ऊर्जा वार्ता की सातवीं बैठक 12 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारत-जापान ऊर्जा वार्ता के तहत ऊर्जा दक्षता कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक 27 फरवरी, 2015 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हुई थी जिसमें जापान की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एमईटीआई), द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स, जापान (आईईईजे) और द एनर्जी कन्जर्वेशन सेंटर, जापान (ईसीसीजे) और भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, टेरी और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू) ने भाग लिया था। भारत-जापान ऊर्जा वार्ता के फ्रेमवर्क के अंदर निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

एनईडीओ प्रदर्शन परियोजनाएं

निम्नलिखित तीन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गईं:

- आन्ध्र प्रदेश में सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी के लिए आदर्श परियोजना
- झारखण्ड में कोक ड्राई क्वेंशिंग सिस्टम (सीडीक्यू) द्वारा ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ाने हेतु आदर्श परियोजना
- आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट प्लांट के वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम के लिए आदर्श परियोजना।

संयुक्त नीतिगत अनुसंधान

- स्टील, सीमेंट, मशीन टूल्स और इन्वर्टर-एयर कंडीशनर (आईईईजे-टेरी) पर संभावित बाजार और टेक्नोलॉजी सर्वेक्षण
- ईंधन सब्सिडी आदि समाप्त करने के पर बाजार विश्लेषण और अनुकरण; (आईईईजे-पीडीपीयू)

बहु-पक्षीय सहयोग

- लघु और मझोले आकार के उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने और भारत में हीट रिकवरी उपायों पर 25 फरवरी, 2015 को ऊर्जा दक्षता सहयोग (आईपीईईसी) फ्रेमवर्क हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के तहत "छठी ऊर्जा प्रबंधन कार्य नेटवर्क कार्यशाला" का आयोजन किया गया था।

क्षमता निर्माण

- 4 फरवरी, 2015 को ऊर्जा कुशलता हेतु गहरी समझ और हीट पंप सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों सहित 60 प्रतिभागियों के साथ "हीट पंप कार्यशाला" का आयोजन किया गया।
- जापान में जेआईसीए द्वारा 25.03.14 से 02.05.15 के बीच भारतीय ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए ऊर्जा संरक्षण तकनीकों में प्रशिक्षण कोर्स कराया गया।

फोरम निम्नलिखित भावी परियोजनाओं पर और काम करेगा:

- आयरन एवं स्टील, सीमेंट और पल्प एवं पेपर सेक्टर में वेस्ट हीट टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान।

- जापानी अपशिष्ट ऋष्मा रिकवरी टेक्नोलॉजी दुनिया में उपलब्ध अन्य टेक्नोलॉजी की तुलना में अधिक कुशल और मंहंगी हैं। टेक्नोलॉजी को आसानी से उपलब्ध कराने और उच्च प्रथम लागत को कम करने के लिए भारत ने सुझाव दिया है कि जापान की अपशिष्ट ऋष्मा रिकवरी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करें।
- निम्नलिखित के संबंध में सूचना और विचारों का आदान-प्रदान करना
 - भारत के परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना।
 - भारत में ऋष्मा पंप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना।
- विद्युत उद्योगों, एसएमई और औद्योगिक उपस्करों के क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखे जाएं।

2.1.3 भारत-अमेरिका सहयोग

भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता के तहत विद्युत मंत्रालय “विद्युत और ऊर्जा दक्षता” संबंधी एक कार्यकारी समूह की अगुवाई कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग मुख्यतया आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी को अपनाने और हस्तांतरित करने पर आधारित है। भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता के तहत नई दिल्ली में 6 मार्च 2014 को आयोजित पिछली बैठक में ऊर्जा दक्षता के अंतर्गत सहयोग के तीन सहमति वाले प्राथमिक क्षेत्रों में प्रगति और आगे की योजना पर चर्चा की गई थी।

भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का प्रमुख प्रपत्र उन्नत स्वच्छ ऊर्जा-अनुसरण (PACE-D) कार्यक्रम के लिए साझेदारी है। इस कार्यक्रम में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक दक्षता, भवन ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण और औद्योगिक सुदृढीकरण हैं। कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने मानकों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने या डाटा केन्द्र ऊर्जा दक्षता के लिए स्वैच्छिक रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के वांछित लक्ष्य के साथ डाटा केन्द्र ऊर्जा दक्षता पर सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई थी।

इसके अलावा, DOE और बीईई के अधिकारी मानकों को सुदृढ बनाने, आदर्श इन्सेंटिव योजनाओं का इस्तेमाल करने, अवार्ड और संभावित चुनौती प्रतिस्पर्धा और मांग प्रत्युत्तर टेक्नोलॉजी, जो पीक डिमांड को कम करने के लिए डायरेक्ट लोड कंट्रोल को संभव बनाएगा, का मार्गदर्शन करने पर केन्द्रित हमारे स्पेस कूलिंग सहयोग हेतु विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विभिन्न आईआईटी में आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों या टेक्नोलॉजी पर केन्द्रित हैं। इन प्रयोगशालाओं का डिजाइन और परिचालन को भारत-अमेरिका सहयोग और लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेट्री (LBNL) स्थित फ्लैक्स प्रयोगशाला बर्कले, कैलिफोर्निया अमेरिका से फायदा मिलेगा। फ्लैक्स प्रयोगशाला एक अग्रणी लैब है जो परीक्षण चालन ऊर्जा दक्षता प्रणालियां मुहैया कराती है और समस्याओं की पहचान करती है तथा ब्रेकिंग ग्राउंड से पहले परिवर्तन करती है जो भवनों में ऊर्जा दक्षता की वास्तविक क्षमता का विश्लेषण करती हैं।

प्रगति और PACE-D कार्यक्रम द्वारा शुरू की गई गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

i. औद्योगिक ऊर्जा दक्षता:

भारत सरकार के सहयोगी: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)



- स्पंज आयरन और पल्प एवं पेपर सेक्टरों के लिए सामान्यीकरण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम ने पल्प और पेपर सेक्टर से एक स्वैच्छिक यूनिट के लिए पीएटी सामान्यीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। सामान्यीकरण प्रक्रिया ने उन चरों की पहचान करने में मदद की है जिनका गेट-टू-गेट (जीटीजी) विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और GTG SEC और चरों के बीच सह-संबंधों की मात्रा निर्धारित करने में भी मदद की है। बीईई की सलाह पर इस गतिविधि को बंद कर दिया गया था।
- उच्च तापमान अपशिष्ट गैस के लिए एक WHU बाजार आकलन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों में दर्शाया गया है। स्पंज आयरन सेगमेंट में कुल WHU क्षमता 700 MW थी और WHU टेक्नोलॉजी में निवेशों से प्रतिफल की रेंज 2-4 वर्ष होगी। इस अध्ययन ने विभिन्न बाधाओं की पहचान करने में भी मदद की है जो WHU टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन को सीमित करते हैं।
- 300 TPD पंज आयरन यूनिटों के लिए WHU व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया है। टीम ने 398 मिलियन रुपये की लागत पर यूनिट की बिजली की मांग के एक भाग को पूरा करने और अतिरिक्त बिजली का निर्यात राज्य यूटीलिटी को करने के लिए 7.3 MW WHU प्लांट की पहचान की है।
- कार्यक्रम ने अपशिष्ट ऊष्मा उपयोग के लिए रणनीति दस्तावेज के लिए पृष्ठभूमि दस्तावेज संकलित किया है। इस दस्तावेज में अपशिष्ट ऊष्मा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित देशों में अपनाई गई पहलकदमियों का उल्लेख किया गया है।
- यह कार्यक्रम फरीदाबाद में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों (MSME) क्लस्टर में अपशिष्ट ऊष्मा उपयोग (WHU) प्रमोशन सहयोग के विकास के लिए प्रमुख हितधारकों को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। टीम ने गठजोड़ करने के लिए संभावित मेजबान के रूप में भारतीय सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों की एकीकृत एसोसिएशन (Iam SME of India) से मुलाकात की और यह अन्य हितधारकों का पता लगा रही है जो संगठन के लिए सही प्लेटफार्म उपलब्ध करा सकते हैं।
- अल्प तापमान अपशिष्ट ऊष्मा उपयोग टेक्नोलॉजी पर एक संग्रह तैयार किया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। यह संग्रह अल्प तापमान WHU के लिए योजना और नीति दस्तावेज तैयार करने में सहायक होगा।
- कार्यक्रम ने विस्तृत विश्लेषण करने के लिए तीन क्षेत्रों यथा वस्त्र, इस्पात और चीनी की पहचान की है। चुने गए राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक) में इन क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की गई थी। संग्रह इन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त अल्प तापमान WHU टेक्नोलॉजी की पहचान करता है।
- 12 अगस्त, 2014 में रनकपुर में पाली टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए टेक्सटाइल सेक्टर कार्यशाला का आयोजन किया गया था: इस कार्यशाला में पाली के टेक्सटाइल क्लस्टर के 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आंशिक वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के जरिये WHU पायलट परियोजनाओं की सहायता की योजना और टेक्सटाइल सेक्टर ईई विश्लेषण के लिए डाटा विश्लेषणात्मक के इस्तेमाल पर बीईई द्वारा प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई थी।

ii. भवन ऊर्जा दक्षता:

भारत सरकार के सहयोगी: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

- **ECBC** तकनीकी अपडेट के लिए संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क का विकास किया गया, जो 20 दिसंबर, 2012 को आयोजित हितधारक परामर्श कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया था।
- बीईई के सहयोग से **ECBC** कार्यकारी समूहों और तकनीकी समितियों के लिए संरचना का विकास किया गया जो कोड अपडेट की देखरेख करेगी। सभी पांच कार्यकारी समूहों का गठन का कार्य पूरा हो गया है जो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (**ECBC**), के लिए तकनीकी अपडेट प्रक्रिया को देखेंगे। पांच तकनीकी कार्यकारी समूहों के अध्यक्षों की पहली बैठक 9 मई, 2013 को आयोजित की गई थी और तकनीकी कार्यकारी समूहों की पहली बैठक नवंबर, 2013 में आयोजित की गई थी। तकनीकी और संचालन समिति का भी गठन किया गया है।
- एक दस्तावेज तैयार किया गया है जो **ECBC** तकनीकी अपडेट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान करता है और इसे 4 जून, 2014 को आयोजित तकनीकी कार्यकारी समूहों की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।
- **ECBC** को पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए फ्रेमवर्क और संबंधित नियम एवं विनियम बनाए गए।
- नई दिल्ली में 16–17 मई, 2013 को भारत में निवल-शून्य ऊर्जा भवनों पर एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने **NZEB** नीतियां एवं विनियम, मामला अध्ययन, एवं उन्नत ऊर्जा कुशल एवं नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजी पर चर्चा की, जो भवनों के लिए निवल शून्य ऊर्जा स्थिति को हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
- **NZEB** पायलट परियोजनाओं का चयन करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए। निर्धारित मापदंडों के आधार पर राजगिर, बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और पंचकुला, हरियाणा में स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (**UHBVNL**) के मुख्यालयों को इस कार्यक्रम के तहत **NZEB** पायलट परियोजनाओं में भाग लेने के लिए चुना गया था।
- भारत में अल्प ऊर्जा कम्फर्ट सिस्टम को अपनाने के मार्ग की रुकावटों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 28 फरवरी और 1 मार्च, 2013 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- भारत में ऊर्जा कुशल **HVAC** टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने की संभावनाओं को समझने के लिए बाजार मूल्यांकन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया था। **PACE-D TA** कार्यक्रम ने सर्वेक्षण विशेषज्ञों, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और भवन ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ **HVAC** क्षेत्र के बाजार के कायाकल्प पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके आधार पर **HVAC** क्षेत्र के बाजार के कायाकल्प के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। **HVAC** रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और नई दिल्ली में 5 अगस्त, 2014 को विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई थी।



- कार्यक्रम बिहार में **NZEB** परिसर के डिजाइन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता मुहैया कराने की प्रक्रिया में है।
- **NZEB** गठबंधन और **NZEB** डिजाइन प्रतियोगिता की व्यावहार्यता पर चर्चा करने के लिए 5 जून, 2014 को प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था। गठबंधन की दीर्घकालिकता से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे। प्रतियोगिता के संबंध में यह प्रस्ताव किया गया था कि इसे आस्थगित रखा जाए।

iii. संस्थागत विकास एवं नीति और विनियामक सुदृढीकरण

भारत सरकार के सहयोगी: राज्य द्वारा नामित एजेंसियां, राज्य विनियामक आयोग और राज्य यूटीलिटीज

- **PACE-D** के तहत सपोर्ट के लिए राज्य के चयन पर एक रिपोर्ट संकलित की गई थी। इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत, नीति एवं विनियामक विकास पर केन्द्रित सहयोग के लिए विकसित तीन राज्यों के चयन के मानदंड शामिल हैं। ये चुने गए तीन राज्य हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक थे।
- टीम ने चुने गए तीन राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों और राज्य यूटीलिटीज के प्रमुख हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं। ये बैठकें करने का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों और पहलकदमियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता मुहैया कराने हेतु संभावित क्षेत्रों की पहचान करना था। इनके आधार पर इन तीन चुने गए राज्यों के लिए संभावित हस्तक्षेपों वाली स्ट्रेटजी नोट्स तैयार किए गए थे।
- टीम ने राज्य की एजेंसियों की ईई और संस्थागत क्षमता संबंधी मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों का विस्तृत अंतर विप्लेषण, डाटा संग्रहण का काम शुरू किया। इनके आधार पर कार्यक्रम ईई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जरूरी योजनाबद्ध और संस्थागत हस्तक्षेपों की पहचान करके राज्य एजेंसियों के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- **राजस्थान**
 - राजस्थान के लिए मसौदा कार्य योजना तैयार कर ली गई है और दिसंबर में प्रधान ऊर्जा सचिव को इसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे और मई, 2014 में हितधारकों से परामर्श किया गया था।
 - राजस्थान के लिए ईई नीति और शुरू की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए ऊर्जा सचिव, राजस्थान और आरआरईसीएल के साथ बैठक की गई थी। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता के लिए राज्य द्वारा नामित एजेंसी (**SDA**) के रूप में नया संस्थान स्थापित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की गई। **PACE-D** इस विषय पर एक विस्तृत नोट तैयार करेगा।
 - **PACE-D TA** कार्यक्रम राज्य में **ECBC** के कार्यान्वयन के लिए कार्यबल का गठन करने में राजस्थान सरकार की मदद करेगा। इसके अलावा, **ECBC** के कार्यान्वयन पर **ECBC** कार्यबल की पहली दो बैठकें आयोजित करने में भी सहयोग करेगा।

- **कर्नाटक**
 - कर्नाटक के लिए मसौदा कार्य योजना तैयार कर ली गई है और दिसंबर के अंत में प्रधान ऊर्जा सचिव को इसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे और अप्रैल, 2014 में हितधारकों से परामर्श किया गया था।
 - कर्नाटक के लिए मसौदा ईई नीति तैयार की गई थी और केआरईडीएल को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई।
 - केआरईडीएल ने **PACE-D** द्वारा तैयार की गई ईई नीति को जनता से टिप्पणी प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसके बाद कर्नाटक सरकार द्वारा इस पर औपचारिक विचार करने के लिए इसे उसे प्रस्तुत किया गया था।
- **हरियाणा**
 - हानियां कम करने के लिए डीएसएम विनियम और फ्रेंचाइजी मॉडल पर **PACE-D** गतिविधियों पर सहयोग करने के लिए एचईआरसी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।
 - प्रस्तुत की गई राज्य कार्य योजना के आधार पर ईई गतिविधियों के संभावित क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए एचईआरसी के साथ बैठक की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि आगे की गतिविधियों को प्रशिक्षण और ऐसी अन्य गतिविधियों के स्थान पर ईई के कार्यान्वयन और इससे लाभ हासिल करने के लिए अधिक उन्मुखी बनाया जाएगा।
 - एचईआरसी-मसौदा डीएसएम विनियम तैयार किए गए, मसौदा विनियमों पर चर्चा करने के लिए एचईआरसी द्वारा आयोजित सार्वजनिक परामर्श बैठक में भाग लिया। इस बैठक में वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों, परामर्शदाताओं और एचईआरसी ने भाग लिया। तत्पश्चात, डीएसएम विनियम राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

iv. ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण

भारत सरकार के सहयोगी: बीईई

- कार्यक्रम के लिए ऋण, इक्विटी और मेजानाइन सहित विभिन्न टेक्नोलॉजी एवं वित्तपोषण के स्रोतों पर सामूहिक विशेषज्ञता मुहैया कराने के लिए मार्च, 2013 में ऊर्जा दक्षता वित्त सलाहकार टीम (ATEEF) का गठन किया गया था। इस टीम के सदस्यों में बीईई, बैंकों और ईएससीओ के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- मसौदा ईई वित्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए सलाहकार टीम की तीन बैठकें आयोजित की गईं। सलाहकार समूह की बैठकें अप्रैल, 2013, अक्टूबर, 2013 और जनवरी एवं सितंबर, 2014 में आयोजित की गई थीं।
- भारत में ईई के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए आधुनिक बिजनेस मॉडल्स, इन्सेंटिव, विनियम और क्षमता निर्माण सहित उपायों पर विचार करने और इनकी पहचान करने के लिए परियोजना विकासकर्ताओं और संस्थानों के साथ दो उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। ये उच्च स्तरीय बैठकें दिल्ली और मुंबई में अप्रैल, 2013 में हुई थीं।



- कार्यक्रम ने अक्टूबर, 2013 में ऊर्जा दक्षता वित्त रिपोर्ट लांच की। इस रिपोर्ट में ईई के लिए 7 नए वित्त लेखपत्रों के लिए सिफारिशों सहित वर्तमान ईई वित्तपोषण के परिदृश्य का विवरण दिया गया है।
- कुछ अनुसंधित वित्तीय लेखपत्रों को लागू करने के लिए संभावित सहयोगियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थी। इसमें अक्टूबर, 2013 में कार्पोरेट ऊर्जा लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर टाटा क्लीनटेक कैपिटल और ईबीआरडी के बीच एक वीडियो कान्फ्रेंस कॉल भी शामिल है। जनवरी, 2014 लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर टाटा कैपिटल और सिडबी के साथ दूसरी बैठकें भी की गई थी।
- टाटा कैपिटल के साथ एक एमओयू को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टाटा कैपिटल ने ऐसे ग्राहकों की एक प्रारंभिक सूची तैयार की है, जिनको ईई परियोजना ऋण सहायता में भागीदारी पर प्रस्तुति दिखाई जाएगी। टीम ने चार टीसीसीएल ग्राहकों से मुलाकात की और इन ग्राहकों के साथ सीईए पर आगे बढ़ने का प्रस्ताव किया है।
- टीम ने बीईई के साथ बैठक की और आंशिक जोखिम गारंटी निधि और उपक्रम पूंजी निधि शुरू करने के लिए PACE-D TA कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी सहायता वाले क्षेत्रों की एक सूची तैयार की है। PACE-D ने जुलाई, 2014 में पूना में और सितंबर, 2014 में चंडीगढ़ में आयोजित ईई वित्तपोषण पर बीईई-एमईडीए कार्यशाला में भाग लिया था।
- दिल्ली (9 सितंबर, 2014) और मुंबई (11 सितंबर, 2014) में 'ईई परियोजनाओं का वित्तपोषण' पर ईई वित्तपोषण कार्यशाला आयोजित की गई। इन दोनों कार्यशालाओं में 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। ईई वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा ईई परियोजना पहचान, वित्तपोषण और संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। फीडबैक से पता चलता है कि ऐसी कार्यशालाएं अधिक संख्या में आयोजित करने की आवश्यकता है और कार्यशाला की अवधि कम से कम दो दिन की होनी चाहिए क्योंकि इस तरह की कार्यशाला के लिए एक दिन की अवधि बहुत कम है।

2.1.4 बीईई-एडीएमई-एएफडी (फ्रांस)

ऊर्जा पर भारत-कनाडा द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत विद्युत, नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता पर डब्ल्यूजी-2 द्वारा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है:

- क) लघु एवं मझोले उपक्रमों, भवन और नगर निगमों में ऊर्जा विश्लेषण और अनुरक्षण।
- ख) लघु एवं मझोले उपक्रमों के ऊर्जा एवं पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन को दर्शाने के लिए रेटिंग, मानक और निगरानी साधन।
- ग) लघु एवं मझोले उपक्रमों और बड़े उद्योगों में दहन एवं अन्य संभावित टेक्नोलॉजी।
- घ) किफायती ऊर्जा कुशल भवन पद्धतियां, रिट्रोफिट उपाय।
- ङ) आवासीय इमारतों के लिए ऊर्जा कुशल मानक विकसित करने संबंधी दिशानिर्देश।
- च) लघु एवं मझोले उमक्रमों, भवनों, नगर निगमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक बैंचमार्क विकसित करना।

छ) सड़कों, और सार्वजनिक प्रकाश वाले स्थानों और लाइटिंग अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन पर कनाडा में तकनीकी विशेषज्ञता और हरित ऊर्जा अधिनियम की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और हरित नगर निगम निधि का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2.1.5 भारत—रूस

निम्नलिखित विषयों के संबंध में ज्ञान, सूचना एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के आदान-प्रदान के लिए नवंबर, 2013 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और रूसी ऊर्जा एजेंसी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए:

- ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा लेखापरीक्षा और ऊर्जा सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान।
- सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन।
- ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता।
- प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान।

30-31 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के अंतर्गत ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता पर कार्यकारी समूह की 19वीं बैठक के दौरान, भारत की ओर से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ द रशियन फेडरेशन उपस्थित थे इसमें उपरोक्त एमओयू के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्रों में मौजूदा एमओयू के फ्रेमवर्क के भीतर सहयोग विकसित करने के लिए रशियन एनर्जी एजेंसी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आशय का स्वागत किया गया:

व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग पर नई दिल्ली में 30-31 अक्टूबर, 2014 को आयोजित भारत-रूस अंतर-शासकीय आयोग के अंतर्गत ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता पर बने समूह में भारत की ओर से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रूस की ओर से एनर्जी ऑफ रशियन फेडरेशन मंत्रालय ने कथित समझौता ज्ञापन के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में वर्तमान समझौते के अंतर्गत सहयोग के लिए रूसी ऊर्जा एजेंसी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्यों को स्वीकार किया :

- रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के अवसरों की पहचान करना;
- संयुक्त सेमिनारों और कार्यशालाओं के जरिये विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना और ज्ञान साझा करना;
- तेल एवं गैस संस्थान के क्षेत्र में ऊर्जा लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता का निर्माण करना।
- नई दिल्ली में 2015 के दौरान 'तेल एवं गैस क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के अवसर' पर बीईई, पीसीआरए, आरईए और जीसीई समूह के विशेषज्ञों के साथ एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन; च्च।द्वए भारत ने जीसीई समूह, रूस के साथ मिलकर पेट्रोलियम क्षेत्र में रिफाइनरी की संयुक्त लेखापरीक्षा करने प्रस्ताव किया है। वर्तमान में ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिफाइनरी क्षेत्र में ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए पीसीआरए और जीसीई का यह संयुक्त प्रयास रिफानरी क्षेत्र के लिए बैंचमार्किंग प्रक्रिया में काफी उपयोगी साबित होगी, जिसे चरण 2 पीएसी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

2.1.6 भारत—चीन

भारत और चीन निम्नलिखित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं:



1. उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सहयोग ।
2. ऊर्जा सेवा कंपनियों (ESCOs) के जरिये ऊर्जा कुशल परियोजनाओं का कार्यान्वयन ।
3. ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ISO50001) ।

2.1.7 भारत–स्विटजरलैंड

भारत में भवन देश की कुल ऊर्जा खपत के 33 प्रतिशत की खपत करते हैं और आगामी वर्षों में निर्माण उद्योग में तेज वृद्धि होने की संभावना है। नए भवनों को उच्च ऊर्जा कुशल बनाकर और डिजाइन पद्धतियों में बदलाव लाकर भवन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में कमी लाने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। भवनों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए स्विटजरलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं:

1. एकीकृत डिजाइन चैरेट्स का विकास करना ।
2. भवन सामग्री परीक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने में तकनीकी सहायता मुहैया कराना ।
3. ऊर्जा कुशल आवासीय और सरकारी भवनों के डिजाइन के लिए डिजाइन दिशानिर्देश और साधन ।
4. ज्ञान उत्पादों का उत्पादन और प्रसार ।

2.2 अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.2.1 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

आईईए और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच सहयोग के घोषणपत्र पर 30 अप्रैल, 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणपत्र के तत्वाधान में बीईई ने आईईए डीएसएम टॉस्क के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और प्रारंभ में सचिव (विद्युत) और ब्यय निदेशक, आईईए की उपस्थिति में जनवरी, 2007 में दो टॉस्क में शामिल हुई थी।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आईईए–डीएसएमआई के निम्नलिखित टॉस्क से जुड़ा हुआ है:

- क) टॉस्क XV : नेटवर्क चालित डीएसएमय
- ख) टॉस्क XVI : प्रतिस्पर्धी ऊर्जा सेवाएं (ऊर्जा, ESCO सेवाएं);
- ग) टॉस्क XVIII: डीएसएम और जलवायु परिवर्तनय
- घ) टॉस्क XIX : सूक्ष्म मांग प्रत्युत्तरय
- ङ) टॉस्क XX : ईई सेवाओं की ब्रांडिंग; भारत द्वारा शुरू किया गया टॉस्क;
- च) टॉस्क (नया टॉस्क XXII): ईई पोर्टफोलिया मानक; भारत द्वारा शुरू किया गया टॉस्क ।

1) नेटवर्क चालित डीएसएम (टॉस्क XV)

उद्देश्य:

- डीएसएम उपायों की विस्तृत श्रेणी की पहचान करना जिनका इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

क) विद्युत बाधाओं को दूर करना और / या

ख) नेटवर्क परिचालनिक सेवाएं मुहैया कराना।

- पहचाने गए नेटवर्क चालित डीएसएम उपायों का और विकास करना ताकि वे नेटवर्क संबंधी उद्देश्यों को किफायत के साथ हासिल करने में सफल हो सकें।
- मध्यम और दीर्घ अवधि के दौरान डीएसएम उपायों के विकास और परिचालन का समावेश करने के लिए मौजूदा नेटवर्क नियोजन प्रक्रिया को संशोधित करने के तरीकों की पड़ताल करना।
- नेटवर्क चालित डीएसएम संशोधनों का मूल्यांकन करने और प्राप्त करने के लिए 'सर्वश्रेष्ठ पद्धति' सिद्धांतों, कार्यविधियों और तौर-तरीकों का विकास करना।
- श्रोताओं से संबंधित नेटवर्क चालित डीएसएम के बारे में सूचना का प्रचार और प्रसार करना।
- नेटवर्क संबंधी उद्देश्यों को हासिल करने में लोड कंट्रोल और स्मार्ट मीटरिंग की भूमिका की विस्तार से जांच करना।

स्थिति: टॉस्क पूरा हो गया है

II) प्रतिस्पर्धी ऊर्जा सेवाएं (टॉस्क XVI)

उद्देश्य:

- नवीन ऊर्जा सेवाओं और वित्तपोषण की पद्धतियों को तैयार करना और परीक्षण करना तथा पुस्तिकाओं की श्रृंखला में प्रकाशित करना।
- चुनिंदा बाजार सेगमेंट जैसे सरकारी भवन, पुराने घरों या निजी सेवा भवनों पर फोकस के साथ बाजार में ऊर्जा सेवाएं कार्यान्वित करने के लिए देश विशिष्ट अनुवर्ती गतिविधियां विकसित करना।
- आईईए डीएसएमसी उत्कृष्टता केन्द्र में योगदान देने और ऊर्जा सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसार एवं सहायक सेवाओं (जैसे कोचिंग, प्रशिक्षण) सक्षम केन्द्र के रूप में आईईए डीएसएम ऊर्जा सेवा विशेषज्ञ प्लेटफार्म तैयार करना।

स्थिति: कार्य प्रगति पर है और इसे 2012 की दूसरी तिमाही में पूरा कर लिया जाएगा।

III) डीएसएम और जलवायु परिवर्तन (टॉस्क XVIII) उद्देश्य:

- उन परिस्थितियों की पहचान करना, जिनमें डीएसएम जीएचजी उत्सर्जन को कम कर सकता है और जिनमें उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम विद्युत प्रणालियों का लाभ प्रदान कर सकते हैं।
- विशिष्ट डीएसएम उपायों से उपलब्ध जीएचजी उत्सर्जन कमी का आकलन करने के लिए कार्यपद्धतियों में शामिल सिद्धांतों की पहचान करना।



- डीएसएम कार्यक्रमों में बदलाव करने के तरीकों की पहचान करना ताकि वे जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में योगदान दे सकें।
- जीएचजी उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमों में बदलाव करने के तरीकों की पहचान करना ताकि वे विद्युत प्रणालियों को लाभ पहुंचा सकें।
- ट्रेडिंग जीएचजी उत्सर्जन कमी से राजस्व के साथ डीएसएम कार्यक्रमों के वित्तपोषण के अवसरों की पहचान करना।
- इस बात का पता लगाना कि क्या मूल्य निर्धारण के समय का इस्तेमाल जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने में किया जा सकता है।
- भागीदार हितधारकों की पहचान करना और जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए संसाधन एवं प्रणाली के रूप में डीएसएम से संबंधित सूचना का प्रचार और प्रसार करना।

स्थिति: यह टॉस्क सितंबर, 2010 में पूरा कर लिया गया है।

IV) सूक्ष्म मांग प्रत्युत्तर और ऊर्जा की बचत (टॉस्क XIX)

सिस्टम ऑपरेटर, सप्लायरों, सरकार और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआर और ऊर्जा की बचत करने वाले उत्पाद परिभाषित करना:

- उपरोक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए ईयूएमएफ, टीओयू मूल्य निर्धारण एवं मांग नियंत्रण पर आधारित आवासीय एवं एसएमई ग्राहकों के लिए डीआर और ऊर्जा की बचत करने वाले सेवा उत्पादों के पैकेज का विकास, पहचान और परिभाषित करना।
- डीआर और ऊर्जा की बचत करने वाले सेवा उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रणालियां विकसित करना।
- आवासीय और एसएमई ग्राहकों के लिए ईएसएसपी / डीएजी बिजनस किस तरह से डीआर और ऊर्जा की बचत करने वाले सेवा उत्पाद मुहैया करा सकते हैं, इसका मूल्यांकन करना।
- आवासीय और एसएमई ग्राहकों के लिए बाजार हेतु ईएसएसपी / डीएजी के लिए मार्ग बनाना।
- स्मार्ट मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ साझा करने के लिए कॉमन ग्राउंड टेक्नोलॉजी का समग्र मूल्यांकन करना।
- उत्पाद डिलीवरी प्रणाली के कार्यान्वयन की वृद्धिशील लागतों का अनुमान लगाना।
- डीआर एवं ऊर्जा की बचत करने वाले उत्पादों के लिए बिजनस मामले का परिमाण निर्धारित करना।

स्थिति: टॉस्क को अप्रैल, 2010 में पूरा कर लिया गया है।

V) ऊर्जा दक्षता की ब्रांडिंग (टॉस्क XX)

इस टॉस्क का मुख्य उद्देश्य 'परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर विद्युत बाजार में ऊर्जा दक्षता की ब्रांडिंग को बढ़ावा

देने के लिए प्रभावी और विस्तृत फ्रेमवर्क विकसित करना' होगा

उप-टॉस्क 1: ऊर्जा दक्षता प्रस्ताव विश्लेषण

उप-टॉस्क 2: ऊर्जा दक्षता उपभोक्ता विश्लेषण

उप-टॉस्क 3: ईई उत्पाद मूल्य निर्धारण और विद्युत बाजार की परिपक्वता के बीच संबंध का मूल्यांकन करना।

उप-टॉस्क 4: समान क्षेत्रों में ब्रांडिंग योजनाओं की समीक्षा करना।

उप-टॉस्क 5: ब्रांडिंग बीईई में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की पहचाना करना।

VI) टॉस्क XXII-ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो मानक

इस टॉस्क का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित के जरिये ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो मानकों का विकास, कार्यान्वयन और निगरानी करना है:

- ईई और उनकी सापेक्ष प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना।
- ईईपीएस के डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का विकास करना।
- संवाद और पहुंच।

उप-टॉस्क I: ईई और उनकी सापेक्ष प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना।

उप-टॉस्क का उद्देश्य: निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ईई को बढ़ावा देने और उनकी सापेक्ष प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए ईईपीएस जैसे दृष्टिकोणों सहित विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना इस टॉस्क का उद्देश्य है।

उप-टॉस्क सुपर्दगी योग्य: ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण संबंधी रिपोर्ट।

उप-टॉस्क II: ईईपीएस के डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का विकास करना।

उप-टॉस्क का उद्देश्य: इस उप-टॉस्क का उद्देश्य डिजाइन पैरामीटरों का विश्लेषण करना और ईईपीएस के डिजाइनों में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का विकास करना है।

उप-टॉस्क सुपर्दगी योग्य: ईईपीएस के डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर रिपोर्ट।

उप-टॉस्क III: संवाद और पहुंच।

उप-टॉस्क का उद्देश्य: इस उप-टॉस्क का उद्देश्य ईईपीएस की स्थापना और विकास संबंधी सूचना का प्रचार और प्रसार करने के लिए विभिन्न हितधारकों की पहचान करना और उन्हें शामिल करना है।

उप-टॉस्क सुपर्दगी योग्य: दो न्यूजलैटर बनाकर और ईईपीएस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के



स्थिति: गतिविधियां 2010 में पूरी कर ली गई हैं।

- उप-टॉस्क 1 के लिए रिपोर्ट तैयार करना, जो 2011 के लिए आंतरिक समीक्षा गतिविधियों के अंतर्गत है।
- उप-टॉस्क 1 व 2 को पूरा करना।
- टॉस्क न्यूज लैटर का प्रकाशन करना।

2.2.2 उर्जा दक्षता सहकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (IPEEC)

उर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (IPEEC) एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य उर्जा दक्षता (EE) के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और नीतियों को आगे बढ़ाना जिनसे दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में उर्जा दक्षता प्राप्त हो। मई, 2009 में इसकी स्थापना उर्जा दक्षता सुधार में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। IPEEC उर्जा दक्षता से संबंधित सूचना के अदान-प्रदान, उर्जा दक्षता सक्रियकों के बीच भागीदारी का विकास कर और उर्जा दक्षता पहलकदमियों को समर्थन देकर दुनियाभर में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करता है। IPEEC समर्थित पहलकदमियां सदस्य और गैर-सदस्य देशों के साथ-साथ निजी क्षेत्र दोनों के लिए खुली है।

जून, 2007 में हेलिजेंडम में आयोजित G8 के शिखर सम्मेलन में, G8 ने उर्जा दक्षता पर अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमी के लिए EU का प्रस्ताव स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी (IEA) के साथ संयुक्त रूप से दुनियाभर में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक कुशल तरीके तलाशने का निर्णय लिया।

चूंकि IEA को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा 1974 में सृजित किया गया था, IEA ने उर्जा दक्षता को प्रोत्साहित किया है। बहरहाल, इसके सदस्य सभी विकसित देश थे। हेलिजेंडम सम्मेलन के एक वर्ष पश्चात, 08 जून, 2008 को ओमोरी (जापान) में अपनी G8 अध्यक्षता के दौरान जापान में आयोजित उर्जा मंत्रियों की बैठक में G8 और चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और यूरोपीयन समुदाय के IPEEC को स्थापित करने पर सहमत हुए। 24 मई, 2009 को रोम में G8 सदस्यों, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और मेक्सिको ने IPEEC के विचारार्थ विषयों पर हस्ताक्षर किए। इस समूह ने हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से को सृजित किया। उसी दिन, इन्हीं देशों ने IEA को IPEEC सचिवालय संचालन करने को अनुरोध किया।

IPEEC एक स्वायत्त, स्वतंत्र संगठन है। विशेषकर इसके कार्यक्रम और इसको वित्तपोषित किए जाने का तरीका OECD और IEA से पृथक है। भागीदारी IPEEC सदस्यों और अन्य तत्वों के स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करती है। इन स्वैच्छिक योगदानों में वित्तीय के साथ-साथ उसी रूप के अन्य साधन शामिल हैं।

IPEEC के तकनीकी कार्यक्रम कई क्षेत्रों में फैले हैं। सदस्य देश समर्पित कार्य समूहों में नेतृत्व करते हैं और हिस्सा लेते हैं जो IPEEC के तकनीकी कार्यक्रम डिजाइन और लागू करते हैं। कार्य समूहों को उनके भागीदारों सदस्यों द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है।

IPEEC को एक कार्यकारी समिति (ExCo), एक नीति समिति (PoCo) और एक सचिवालय द्वारा चलाया जाता है। कार्यकारी समिति (फ्रांस, वर्तमान अध्यक्ष) और नीति समिति (मेक्सिको, वर्तमान अध्यक्ष) दोनों प्रशासनिक, नीति और तकनीकी मुद्दों पर समग्र दिशानिदेश उपलब्ध कराते हैं। इन्हें IPEEC सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है।

कार्यकारी समिति सदस्य देशों के प्रस्तावों की जांच करती है और इन्हें अपनाती है तथा प्रत्येक वर्ष के बजट को मंजूरी देती है, सदस्यता अनुरोधों की जांच करती है, सचिवालय को दिशा-निदेश देती है और निरीक्षण करती है तथा कार्य समूहों में कुछ के कार्य की समीक्षा करते समय कार्य समूहों के लिए प्रस्तावों को विकसित करती है। अभी तक कार्यकारी समितिकी 10 बैठकें आयोजित की गईं और 11वीं बैठक 10-11 सितंबर, 2014 को पेरिस में आयोजित किए जाने की योजना है।

भारत (संयुक्त सचिव (EC), उर्जा मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व), संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ ExCo के उपाध्यक्षों में से एक है।

नीति समिति IPEEC के समग्र ढांचे और नीतियों को निर्धारित करती है, कार्य समूहों की प्रगति के साथ-साथ कार्यकारी समिति और सचिवालय के कार्य पर नजर रखती है। अभी तक नीति समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई हैं।

अपने कार्यकारी निदेशक के अंतर्गत कार्य करने वाला सचिवालय IPEEC की संचार पहुंच और गतिविधियों का संयोजक है। इसके प्रशासनिक कार्यों में नीति समिति और कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन, सदस्यता अनुरोधों की जांच तथा कार्यकारी समिति को इनका अग्रगण्य और IPEEC की सूचनाओं (स्थिति, गतिविधियों) में समन्वय करना शामिल है। IPEEC के तकनीकी कार्यक्रम कई क्षेत्रों में फैले हैं। सदस्य देश समर्पित कार्य समूहों में नेतृत्व देते हैं और हिस्सा लेते हैं जो IPEEC के तकनीकी निर्माण कार्यक्रम को डिजाइन और लागू करते हैं। सचिवालय दो अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व देते हैं। कार्य समूहों को उनमें भागीदारी करने वाले देशों द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है। सितंबर, 2009 में कार्यकारी समिति की पहली बैठक के दौरान भारत IPEEC में शामिल हुआ। अक्टूबर, 2010 में IPEEC के सदस्यों में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीयन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, रूस, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। मौजूदा सदस्यता 16 है, (दक्षिण अफ्रीका 2013 में IPEEC में शामिल हुआ):





3

ब्यूरो का लेखा

- 3.1 पूंजीगत संरचना
- 3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश
- 3.3 ब्यूरो की कार्यशैली सुधारने और सुदृढीकरण हेतु किए गए उपाय
- 3.4 लेखा का वार्षिक विवरण



3.1 पूंजी संरचना

उर्जा संरक्षण, 2001 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय उर्जा संरक्षण निधि की स्थापना के लिए उर्जा मंत्रालय से ₹50 करोड़ की समग्र निधि प्राप्त की गई। ₹50 करोड़ की समग्र निधि को प्रबंधन परिषद के अनुमोदन से 1 मई, 2003 से प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में ₹4.42 करोड़ के निर्धारित भुगतान करने वाले सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, गैर-संचयी प्रतिदेय करयोग्य, प्रत्येक की कीमत 10 लाख (श्रेणी XVII) के एनटीपीसी बांड में 20 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। ब्याज को बीईई के आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है और सरकार द्वारा वर्ष के दौरान और निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बीईई समग्र निधि के आवर्धन हेतु उर्जा मंत्रालय से ₹15.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमाओं में निवेशित ₹15.00 करोड़ की इस समग्र निधि से ₹1.42 करोड़ की आय हुई।

31/03/2015 को इस वृद्धि के साथ BEE समग्र निधि में कुल राशि ₹65.00 करोड़ है।

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ब्यूरो ने मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के पास निवेशित 50 करोड़ की समग्र निधि से ₹424.00 लाख और विजया बैंक के पास निवेशित ₹15 करोड़ की अतिरिक्त समग्र निधि पर ब्याज के रूप में ₹142.16 लाख अर्जित किए गए। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो ने उर्जा प्रबंधकों एवं उर्जा निरीक्षकों के लिए 15वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से ₹480.22 लाख प्राप्त किए। स्थापना, प्रशासनिक व्यय, गैर-आवर्ती और परियोजना व्यय पर बीईई का व्यय क्रमशः ₹232.48 लाख, ₹15.56 लाख और ₹7.35 लाख था। इसके अतिरिक्त, उर्जा प्रबंधकों एवं उर्जा परीक्षकों के लिए 15वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा पर ₹139.72 लाख का व्यय किया गया। ₹627.81 लाख के व्यय पर आय के अधिशेष को समग्र निधि में अंतरित किया गया।

3.3 ब्यूरो के कार्य को बेहतर अथवा मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

बीईई की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए 2014-15 के दौरान निम्नलिखित भर्ती/अनुबंध पर नियुक्ति की गई:

- (i) 13.08.2014 से नियमित आधार पर एक लेखाकार की नियुक्ति की गई।
- (ii) 12.05.2014 से एक प्रबंधक (मानव संसाधन) और 09.03.2015 से एक प्रबंधक (प्रशासन) को अनुबंध पर नियुक्ति की गई।

3.4 लेखों के वार्षिक विवरण

यथोचित रूप से लेखों के वार्षिक विवरण अर्थात् तुलन पत्र, आय एवं व्यय विवरण और खातों के प्राप्ति एवं भुगतान विवरण इसके साथ संलग्न है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष को उर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25 (2) के साथ पढ़ा जाए के तहत 31 मार्च, 2015 को उर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त होने वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों और प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बीईई के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने का है।

2. पृथक लेखा परीक्षा में वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों के अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटन शर्तों, आदि के संबंध में केवल लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई तो, के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट / की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय विवरण किसी भी मिथ्या कथन से मुक्त हो, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा योजना तैयार करे और निष्पादन करे। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन मानकों और प्रबंधन द्वारा तैयार महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं:

- i. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- ii. इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र, आय एवं व्यय खातों और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित और उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के अंतर्गत बीईई द्वारा अपनाए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया गए हैं।
- iii. हमारे विचार में, जहां तक इस प्रकार के लेखा पुस्तकों की जांच से यह प्रतीत होता है कि धारा 25(1) के अंतर्गत जैसा अपेक्षा की गई बीईई द्वारा लेखों की उचित पुस्तकों और अन्य संबंधित रिकार्डों को तैयार किया गया है।
- iv. इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं:



क. लेखों पर टिप्पणियां

1. तुलन पत्र

1.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 8)

कार्यालय उपकरण: 51.84 लाख

उपरोक्त में प्रिंटर और पर्सनल डिजीटल अस्सिस्टेंट (PDAs) के लेखों में ₹17.24 लाख की राशि शामिल है जो कम्प्यूटर और संबंधित उपकरणों के रूप में शामिल है। बीईई ने इन मदों पर 60 प्रतिशत (मूल्यहास प्रभारित के लिए बीईई द्वारा अपनाए गए आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार कम्प्यूटर और उपकरणों के लिए मूल्यहास की दर) की अपेक्षा 15 प्रतिशत की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास कम बताया गया है और अचल परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है और ₹7.48 लाख का अधिशेष हुआ।

ख. अनुदान

₹73.55 करोड़ के कुल अनुदान में (इसमें पिछले वर्ष के खर्च न नहीं किए गए ₹27.84 करोड़, वर्ष के दौरान प्राप्त 41.73 करोड़, अर्जित ब्याज ₹3.98 करोड़ शामिल है) बीईई वर्ष के दौरान ₹49.16 करोड़ ही उपयोग कर सका है, जिससे 31 मार्च, 2015 को ₹224.39 करोड़ शेष बचे। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹41.73 करोड़ के उपरोक्त वर्णित अनुदान में स ₹25.15 करोड़ मार्च, 2015 में प्राप्त किए गए थे।

ग. प्रबंधन पत्र

खामियों जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उपचारात्मक/निवारक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा महानिदेशक, उर्जा संरक्षण ब्यूरो के ध्यान में लाया गया है।

- v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा सूचित तुलन पत्र, आय एवं व्यय खातों और प्राप्ति एवं भुगतान खातों लेखा पुस्तकों के अनुसार है।
- vi. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्णित लेखा विवरणों को लेखांकन नीतियों और लेखा नोटों के साथ पढ़ा जाए और इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में वर्णित मामलों के अध्यक्षीन है, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और सही प्रस्तुत करते हैं।
- a) तुलन पत्र के 31 मार्च, 2015 की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- b) आय और व्यय लेखों से संबंधित अधिशेष उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 05.11.2015

Tanuja Mittal

(तनुजा एस. मित्तल)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

अनुलग्नक I
{पैरा 4 (vi) में उल्लिखित}

1	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मौजूद नहीं है और आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली को भी तैयार नहीं किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा उर्जा मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) द्वारा की गई थी। मार्च, 2014 तक की आंतरिक लेखा परीक्षा पूरी हो गई है। यद्यपि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली बीईई के आकार एवं गतिविधियों के अनुरूप है, बीईई द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	उर्जा दक्षता ब्यूरो दैनिक कार्यों में उर्जा प्रबंधन के उप-नियमों का पालन कर रहा है। बीईई के मसौदा उप-कानूनों को तैयार कर लिया गया है तथा अनुमोदन एवं अधिसूचना के लिए उर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बीईई की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
3	अचल परिसंपत्तियों और चल स्टाक के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2014-15 के लिए अचल परिसंपत्तियों और चल स्टाक का वास्तविक सत्यापन पूरा हो गया है। बहरहाल, रिपोर्ट अनुमोदन चरण में हैं। बीईई अचल परिसंपत्ति रजिस्टर भी रखता है।
4	संविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता	बीईई अपने पर लागू संविधिक बकायों के भुगतान करने में नियमित है।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रिपोर्ट)



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क. लेखों पर टिप्पणियां

1. तुलन पत्र

1.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 8)

कार्यालय उपकरण: 51.84 लाख

उपरोक्त में प्रिंटर और व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों (पीडीए) जो कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स की प्रकृति के हैं पर रु. 17.24 लाख की राशि शामिल है। बीईई ने इन मदों पर 60 प्रतिशत (मूल्यहास प्रभारित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बीईई द्वारा अंगीकृत मूल्यहास की दर) की बजाय 15 प्रतिशत का मूल्यहास प्रभारित किया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास का न्यून अंकन एवं स्थिर परिसंपत्तियों और अधिशेष में रु. 7.48 लाख का अधिक अंकन हुआ है।

उत्तर

ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो सरकारी अनुदानों पर चलता है। अतएव, ब्यूरो ने 2002-03 तक किसी प्रकार का मूल्यहास प्रभारित नहीं किया। ब्यूरो ने तत्कालीन लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार 2003-04 से मूल्यहास प्रभारित करना आरंभ किया। मूल्यहास की दर आयकर अधिनियम, 1961 पर आधारित थी। उस समय प्रिंटर तथा व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों पर मूल्यहास की प्रचलित दर 15% थी। असावधानी के कारण, ब्यूरो ने 2014-15 तक उसी दर को जारी रखा। लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार, 2015-16 से दर को संशोधित करके 60% कर दिया जाएगा।

ख. अनुदान

कुल रु. 73.55 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष व्यय न की गई राशि का आरंभिक शेष रु. 27.84 करोड़, वर्ष के दौरान प्राप्त राशि रु. 41.73 करोड़, अर्जित ब्याज रु. 3.98 करोड़ शामिल है) के अनुदान में से, बीईई वर्ष के दौरान रु. 49.16 करोड़ का ही उपयोग कर पाया, जिससे 31 मार्च 2015 को रु. 24.39 करोड़ की शेष राशि अनुप्रयुक्त रही। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त रु. 41.73 करोड़ के ऊपर वर्णित अनुदान में से, रु. 25.15 करोड़ की राशि मार्च 2015 में प्राप्त हुई।

उत्तर

रु. 24.39 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 को अनुप्रयुक्त रही है। रु. 24.39 करोड़ का विवरण निम्न प्रकार से है:

- 31 मार्च 2015 तक रु. 2.70 करोड़ का अर्जित ब्याज पत्रांक 01/355/लेखा/2013 दिनांक 12 जून 2015 के माध्यम से सरकारी लेखाओं यानी "वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत मंत्रालय" के पास जमा करा दिया गया है।
- रु. 21.69 करोड़ – जो प्रतिबद्ध देयताओं के लिए थी जिसे 2015-16 के दौरान प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, टिप्पणियों को छोड़ दिया जाए।

वर्ष 2014-15 हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा के दौरान लेखा रिकॉर्डों में पाई गई विसंगतियां-प्रबंधन का पत्र

विसंगति	उत्तर
1. बीईई (यूनिडो परियोजना) से संबंधित रु. 453.64 लाख की राशि "चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची-11)" शीर्ष के अंतर्गत 'बचत खाता' के अंतर्गत दर्शाई गई है। चूंकि यह राशि चालू खाते से संबंधित है, अतएव "चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची-11)" शीर्ष के अंतर्गत 'चालू खाता' उप शीर्ष के अंतर्गत इसका प्रकटन किया जाए।	लेखाओं की प्रस्तुति के लिए लेखापरीक्षक की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
2. अमूर्त परिसंपत्ति होने के कारण रु. 20.99 लाख के सॉफ्टवेयर (सकल ब्लॉक) को अमूर्त परिसंपत्ति शीर्ष के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाए।	लेखापरीक्षक की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 1 (लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली) के अनुसार, बीईई के स्थायी कर्मचारियों के प्रति वर्ष मार्च माह के वेतन और मजदूरियों जिनका भुगतान अप्रैल माह में किया जाता है का उसी वित्तीय वर्ष में लेखांकन किया जाए जिसमें ये प्रोद्भूत होते हैं। यदि नकद आधार लेखांकन पर मार्च माह हेतु वेतन के लेखांकन की वर्तमान प्रणाली जारी रहती है, तो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में तदनुसार इसका उपयुक्त रूप से प्रकटन किया जाए।	लेखांकन नीति में प्रकटन की लेखापरीक्षक की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
4. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 1 (लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि हेतु महंगाई भत्ते में वृद्धि का बकाया जिसका भुगतान अप्रैल माह में किया जाता है का उसी वित्तीय वर्ष में लेखांकन किया जाए जिसमें ये प्रोद्भूत होते हैं। यदि नकद आधार लेखांकन पर उक्त बकायों के लेखांकन की वर्तमान प्रणाली जारी रहती है, तो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में तदनुसार इसका उपयुक्त रूप से प्रकटन किया जाए।	लेखांकन नीति में प्रकटन की लेखापरीक्षक की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
5. लेखांकन नीति सं. 8(ख) में टाइपिंग त्रुटि को उपयुक्त रूप से ठीक किया जाए, जैसा कि आश्वस्त किया गया है।	संशोधन को नोट किया गया है और इसे ठीक कर लिया जाएगा।



वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

			(राशि – रुपये में)
कॉर्पस निधि और देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	3,67,09,11,187	3,31,24,44,856
रिजर्व और अधिशेष	2	1,11,707	1,14,785
निर्धारित/स्थायी निधियां	3	39,20,78,041	42,20,10,130
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट दायित्व	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रवधान	7	15,75,11,823	8,50,58,569
योग		4,22,06,12,758	3,81,96,28,340
<u>आस्तियां</u>			
फिक्स आस्तियां	8	1,85,42,548	2,08,18,843
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से	9	3,06,53,10,067	2,79,72,46,150
निवेश – अन्य	10	-	-
मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,13,67,60,143	1,00,15,63,347
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित करने तक सीमित नहीं)			
योग		4,22,06,12,758	3,81,96,28,340
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और अकाउंट्स पर टिप्पणियां	25		
दिनांक : 22 मई, 2015			
स्थान – नई दिल्ली			
के.के. नायर वित्त एवं लेखा अधिकारी		संजय सेठ सचिव	अजय माथुर महानिदेशक

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि – रुपये में)			
आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सेवाओं से प्राप्त आय	12	-	-
अनुदान / सस्तिडी	13	-	-
फीस / अंशदान	14	4,07,79,125	3,54,87,850
निवेश से प्राप्त आय (निधियों में सीमांतरीत निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों पर आय)	15	5,66,16,116	5,88,42,823
सॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज (शुद्ध)	17	5,29,11,551	4,38,04,618
अन्य आय	18	8,36,849	69,278
बने हुए माल और अर्धनिर्मित माल के स्टॉक में वद्धि / कमी	19	-	-
योग (ए)		15,11,43,641	13,82,04,569
व्यय			
स्थापना व्यय	20	4,80,22,139	4,92,21,425
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,32,48,069	2,65,60,889
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	1,47,14,212	1,62,15,442
अनुदान, सस्तिडियों आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास	8	23,78,027	30,03,287
फिक्स आस्तियों की बिक्री पर हानि	8	-	22,090
योग (बी)		8,83,62,447	9,50,23,133
आय पर व्यय की अधिकता का बैलेंस (ए-बी)		6,27,81,194	4,31,81,436
विशेष रिजर्व को अंतरण		-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		-	-
अधिक/कम होने के कारण बैलेंस को कोरपस निधि में ले जाया गया		6,27,81,194	4,31,81,436
महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और अकाउंटस पर टिप्पणियां	25		
दिनांक : 22 मई, 2015			
स्थान – नई दिल्ली			
के.के. नायर	संजय सेठ	अजय माथुर	
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक	



वित्तीय विवरणियों का फार्म (गैर लाभकारी संस्थान) संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	(रुपये में)			भुगतान	(रुपये में)		
	विवरण	मौजूदा वर्ष	विवरण		विवरण	मौजूदा वर्ष	विवरण
1. प्रारम्भिक ऋण							
क) हाथ में नकदी	-						
ख) बैंक शेष (अनुसूची - 11)	13,51,06,517.00						
1. बचत खाता - बीईई	44,12,62,821.00	11,68,33,936.00					4,94,39,552.00
2. जमा खाते	27,84,53,033.00	50,77,41,312.00					2,98,24,608.00
3. बचत खाते - खान योजना	4,34,32,904.00	10,33,78,184.00					
4. बचत खाते - (रिजर्वेड/डीओ डॉलर खाता)	26,44,362.00	1,99,745.00					
5. बचत खाता (यूपीडीपी)							
2. प्रेषण अनुदान (अनुसूची - 3)		90,08,99,637.00					
क) भारत सरकार से (12वीं योजना)							
1. बीईई							
2. ऊर्जा संरक्षण भवन मानक	1,50,00,000.00						
3. राज्य नॉन्-एनर्जि को सुदृढीकरण (एलडीए)	4,50,00,000.00	27,49,30,000.00					
4. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एलडीए/एफ)		6,00,00,000.00					
5. मानव संसाधन विकास (एलडीए/डी)		2,91,85,000.00					
6. लघु मध्यम उद्यमी (एलएसई)	2,00,00,000.00	5,00,00,000.00					
7. कृषि मंत्रालय प्रकल्प (एपी डीएसए)	1,00,00,000.00	7,71,00,000.00					
8. विकास को अक्षाति निर्माण		10,00,00,000.00					
इसकी							
1. बीईई-बीईई-एलडीए-एलएसई परिशोधन		2,60,00,000.00					
2. एलडीए		15,98,60,000.00					
3. एलडीए							
4. एलडीए							
5. एलडीए							
6. एलडीए							
7. एलडीए							
8. एलडीए							
9. एलडीए							
10. एलडीए							
11. एलडीए							
12. एलडीए							
13. एलडीए							
14. एलडीए							
15. एलडीए							
16. एलडीए							
17. एलडीए							
18. एलडीए							
19. एलडीए							
20. एलडीए							
21. एलडीए							
22. एलडीए							
23. एलडीए							
24. एलडीए							
25. एलडीए							
26. एलडीए							
27. एलडीए							
28. एलडीए							
29. एलडीए							
30. एलडीए							
31. एलडीए							
32. एलडीए							
33. एलडीए							
34. एलडीए							
35. एलडीए							
36. एलडीए							
37. एलडीए							
38. एलडीए							
39. एलडीए							
40. एलडीए							
41. एलडीए							
42. एलडीए							
43. एलडीए							
44. एलडीए							
45. एलडीए							
46. एलडीए							
47. एलडीए							
48. एलडीए							
49. एलडीए							
50. एलडीए							
51. एलडीए							
52. एलडीए							
53. एलडीए							
54. एलडीए							
55. एलडीए							
56. एलडीए							
57. एलडीए							
58. एलडीए							
59. एलडीए							
60. एलडीए							
61. एलडीए							
62. एलडीए							
63. एलडीए							
64. एलडीए							
65. एलडीए							
66. एलडीए							
67. एलडीए							
68. एलडीए							
69. एलडीए							
70. एलडीए							
71. एलडीए							
72. एलडीए							
73. एलडीए							
74. एलडीए							
75. एलडीए							
76. एलडीए							
77. एलडीए							
78. एलडीए							
79. एलडीए							
80. एलडीए							
81. एलडीए							
82. एलडीए							
83. एलडीए							
84. एलडीए							
85. एलडीए							
86. एलडीए							
87. एलडीए							
88. एलडीए							
89. एलडीए							
90. एलडीए							
91. एलडीए							
92. एलडीए							
93. एलडीए							
94. एलडीए							
95. एलडीए							
96. एलडीए							
97. एलडीए							
98. एलडीए							
99. एलडीए							
100. एलडीए							
101. एलडीए							
102. एलडीए							
103. एलडीए							
104. एलडीए							
105. एलडीए							
106. एलडीए							
107. एलडीए							
108. एलडीए							
109. एलडीए							
110. एलडीए							
111. एलडीए							
112. एलडीए							
113. एलडीए							
114. एलडीए							
115. एलडीए							
116. एलडीए							
117. एलडीए							
118. एलडीए							
119. एलडीए							
120. एलडीए							
121. एलडीए							
122. एलडीए							
123. एलडीए							
124. एलडीए							
125. एलडीए							
126. एलडीए							
127. एलडीए							
128. एलडीए							
129. एलडीए							
130. एलडीए							
131. एलडीए							
132. एलडीए							
133. एलडीए							
134. एलडीए							
135. एलडीए							
136. एलडीए							
137. एलडीए							
138. एलडीए							
139. एलडीए							
140. एलडीए							
141. एलडीए							
142. एलडीए							
143. एलडीए							
144. एलडीए							
145. एलडीए							
146. एलडीए							
147. एलडीए							
148. एलडीए							
149. एलडीए							
150. एलडीए							
151. एलडीए							
152. एलडीए							
153. एलडीए							
154. एलडीए							
155. एलडीए							
156. एलडीए							
157. एलडीए							
158. एलडीए							
159. एलडीए							
160. एलडीए							
161. एलडीए							
162. एलडीए							
163. एलडीए							
164. एलडीए							
165. एलडीए							
166. एलडीए							
167. एलडीए							
168. एलडीए							
169. एलडीए							
170. एलडीए							
171. एलडीए							
172. एलडीए							
173. एलडीए							
174. एलडीए							
175. एलडीए							
176. एलडीए							
177. एलडीए							
178. एलडीए							
179. एलडीए							
180. एलडीए							
181. एलडीए							
182. एलडीए							
183. एलडीए							
184. एलडीए							
185. एलडीए							
186. एलडीए							
187. एलडीए							
188. एलडीए							
189. एलडीए							
190. एलडीए							

अनुसूची-1 और 2

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)

संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 – ऊर्जा संरक्षण निधि	वर्तमान वर्ष		(राशि – रुपये में)	
			पिछला वर्ष	
1. कोरपस निधि वर्ष के आरम्भ में शेष (बीईई) कोरपस निधि में अंशदान (समग्र निधि का संवर्धन)	500000000 150000000	650000000	500000000 150000000	650000000
2. मानक और लेबलिंग शुल्क (एस एंड एल) आरम्भिक शेष अग्रेषित घटाएं : वर्ष के दौरान योजना में स्थानांतरित निधियां जोड़ें : वर्ष के दौरान योग जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज	1062648928 150000000 239246690 102423714	1254319332	754268807 - 221818456 86561665	1062648928
3. भवन लेबलिंग शुल्क आरम्भिक शेष अग्रेषित जोड़ें : वर्ष के दौरान योग	400000 500000	900000	- 400000	400000
4. पीआरजीएफईई आरम्भिक शेष अग्रेषित घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज	798108233 386870 73377915	871099278	729837065 222085 68493253	798108233
5. वीसीएफईई आरम्भिक शेष अग्रेषित घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज	335224615 81348 30605036	365748303	307974745 222084 27471954	335224615
6. व्यय से अधिक अतिरिक्त आय का आरम्भिक शेष जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय का शेष	466063080 62781194	528844274	422881644 43181436	466063080
वर्ष की समाप्ति पर शेष		3670911187		3312444856

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजी रिजर्व : [विस्तृत सहायता(यूएसएआईडी)-बीईई] अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं : अनुदान के तहत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास	114785 3078	111707	118414 3629	114785
2. पुनःमूल्यांकन रिजर्व : अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	- - -	-	- - -	-
3. विशेष रिजर्व : अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	- - -	-	- - -	-
4. सामान्य रिजर्व : अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	- - -	-	- - -	-
योग		111707		114785

अनुसूची-4

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि – रूपए में)				
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार		–		–
2. राज्य सरकार		–		–
3. वित्तीय संस्थान				
क) आवधिक ऋण	–		–	
ख) प्राप्त तथा देय ब्याज	–	–	–	–
4. बैंक:				
क) आवधिक ऋण	–		–	
– प्राप्त तथा देय ब्याज	–		–	
ख) अन्य ऋण	–		–	
– प्राप्त तथा देय ब्याज	–	–	–	–
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		–		–
6. डिबेंचर्स और बॉण्ड		–		–
7. अन्य		–		–
कुल		–		–



अनुसूची-5 और 6

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर लाभकारी संस्थान)

संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि – रूपए में)		
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. वित्तीय संस्थान	–	–
4. बैंक :		
क) आवधिक ऋण	–	–
ख) अन्य ऋण	–	–
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	–	–
6. डिबेंचर्स और बॉन्ड	–	–
7. स्थायी जमा	–	–
8. अन्य	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण और देयताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा स्वीकृति	–	–
ख) अन्य	–	–
कुल	–	–

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 7 – मौजूदा देनदारियां और प्राक्धान	(राशि – रुपये में)			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. मौजूदा देनदारियां				
विविध लेनदार				
विविध लेनदार (अन्य)	33979636		10957258	
विविध लेनदार (एमओपी)	45203488	79183124	8456	10965714
अग्रिम प्राप्त (परीक्षा फीस)		-		52,69,800.00
बयाना राशि		3473785		2671785
सिक्वोरिटी डिपॉजिट		3667760		4167895
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग)				
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (एयरकंडीशनिंग)	7425000		6600000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (लाइटिंग)	2725000		2725000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (रेफ्रिजरेशन)	4750000		4650000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (ट्रांसफारमर)	18625500		17275500	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (ब्लैस्ट)	225000		225000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (सीलिंग फैन)	4950000		4100000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (कम्प्यूटर)	1175000		1075000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (सीटीवी)	1725000		825000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (गैस स्टोव)	100000		-	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (गीजर)	225000		225000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (इन्वर्टर)	100000		-	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (एलपीजी गैस)	450000		450000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (मोटर)	1025000		1025000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (ऑफिस आटोमेशन उत्पाद)	100000		-	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (फर्निचर)	11500000		10425000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (वाशिंग मशीन)	300000		300000	
सिक्वोरिटी डिपॉजिट (मानक और लेबलिंग) – (वाटर हीटर)	12175000	67575500	9450000	59350500
शुल्क और कर		1329971		1555069
अन्य मौजूदा देनदारियां		2025803		835884
योग (ए)		157255943		84816647
बी. प्राक्धान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेजुटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन (डेपुटेशन पर गए स्टाफ के लिए अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान) एजी (उड़ीसा), भुवनेश्वर निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान	158651 97229		136757 105165	241922
4. संचित अवकाश नकदीकरण		-	-	
5. ट्रेड वारंट/क्लेम		-	-	
योग (बी)		255880		241922
योग (ए + बी)		157511823		85058569



अनुसूची-8

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर लाभकारी संस्थान)

संस्थान का नाम - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

क्र.सं.	अनुसूची 8 - अचल सम्पत्तियों का विवरण	मूल्यांकन की दर	सकल ब्लॉक				मूल्यांकन ब्लॉक			(राशि - रुपये में)	
			वर्ष के दौरान जोड़		विक्रय/समायोजन	31.03.15 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार
			01.04.14 के अनुसार	वर्ष के दौरान जोड़							
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो											
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर और फिक्सचर	10%	1,36,58,590	-	-	1,36,58,590	56,89,430	7,96,916	-	64,86,346	71,72,244
4	लाट और मशीनरी	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	कार्यालय उपकरण	15%	1,27,58,432	2,03,729	-	1,29,62,161	68,73,307	9,04,524	-	77,77,831	51,84,330
6	वाहन	15%	21,24,591	-	-	21,24,591	17,85,158	50,915	-	18,36,073	2,88,518
7	कम्प्यूटर	60%	5,18,53,727	3,53,156	-	5,22,06,883	5,10,28,320	6,25,672	-	5,16,53,992	5,52,891
	योग		8,03,95,340	5,56,885	-	8,09,52,225	6,53,76,215	23,78,027	-	6,77,54,242	1,31,97,983
ASSETS UNDER GRANT IN KIND											
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर और फिक्सचर	10%	29,202	-	-	29,202	8,978	2,022	-	11,000	18,202
4	लाट और मशीनरी	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	कार्यालय उपकरण	15%	93,05,550	13,755	-	93,19,305	41,99,519	7,52,794	-	49,52,313	43,66,992
6	वाहन	15%	1,48,57,165	9,85,693	-	1,58,42,858	1,41,83,702	6,99,785	-	1,48,83,487	9,59,371
7	कम्प्यूटर	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग		2,41,91,917	9,99,448	-	2,51,91,365	1,83,92,199	14,54,601	-	1,98,46,800	53,44,565
	सकल योग		10,45,87,257	15,56,333	-	10,61,43,590	8,37,68,414	38,32,628	-	8,76,01,042	1,85,42,548
	पिछला वर्ष		10,39,89,550	6,51,383	53,676	10,45,87,257	7,89,89,249	48,09,251	30,086	8,37,68,414	2,08,18,843
											2,50,00,301

अनुसूची-9 और 10
वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

(राशि – रुपये में)			
अनुसूची 9 – निर्धारित/दान निधियों का निधियों से निवेश		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. कोरपस निधि			
1. एनटीपीसी के बांड (20 वर्ष)	500000000		500000000
2. विजया बैंक – एफडीआर (कोरपस निधि की वृद्धि)	150000000	650000000	150000000
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उपक्रम		-	-
6. अन्य			
विजया बैंक – पीआरजीएफईई		871099278	798108233
विजया बैंक – वीसीएफईई		365748303	335224615
विजया बैंक – एस एंड एल फीस	1178421730		1013913302
विजया बैंक – चैक इन हेण्ड	40756	1178462486	
योग		3065310067	2797246150

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बांड		-	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम		-	-
6. अन्य		-	-
योग		-	-



वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 – मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां				
I. नकद रोकड़			-	-
II. बैंक खाते				
क) अनुसूचित बैंकों में:				
- चालू खातों में				
अनुसूचित बैंकों (विजया बैंक) से एफडीआर	497881171		441262821	
- बचत खातों में				
बीईई (विजया बैंक बचत एवं स्वीप खाता-बीईई)	130892329		134078203	
बीईई (विजया बैंक बचत एवं स्वीप खाता-योजना स्कीम)	334510160		278453033	
बीईई (आईओबी, चेन्नई)	54400		965000	
बीईई (आईओबी, दिल्ली)	138731		63314	
बीईई (यूनिडो परियोजना - विजया बैंक, दिल्ली)	45364065		43432904	
बीईई (यूएनडीपी परियोजना - विजया बैंक, दिल्ली)	1112231	1009953087	2644362	900899637
III. डाक टिकट		14730		148648
IV. जांच परीक्षण उपकरण (एसएंडएल परियोजना)		5823730		4550880
Total (11A)		1015791547		905599165

अनुसूची 11 – मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
बी. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां :				
1. अन्य अग्रिम				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	-		6346192	
एम एंड एम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	575312		575312	
नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (15वीं परीक्षा)	-		4779794	
सीनियर पोस्ट मास्टर	4018	579330	32441	11733739
2. स्टाफ अग्रिम				
अशोक कुमार	-		34280	
अनिल राय	-		5500	
भास्कर ज्योति सर्मा	-		70506	
प्रणय कुमार	-		12460	
रजनी थॉमसन	61965		-	
सौरभ दिददी	-	61965	2500	125246
3. अन्य डिपॉजिट (सिक्क्योरिटी डिपॉजिट)				
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस - सदस्य सिक्क्योरिटी डिपॉजिट)	10000		10000	
पेट्रोल पम्प के साथ डिपॉजिट (लक्ष्मी सुपर सर्विसिज)	10000		10000	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (हच - सतीश समरवाल)	250		250	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - मीनाक्षी गुला - एस के खंडारे)	-		90702	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - शकुंतला - एस के खंडारे)	46720		-	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - सितु बंसल - मिलिंद बी. देवरे)	-		60000	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - गोपेन्द्र सिंह - मिलिंद बी. देवरे)	50000		-	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - प्रभा किशोर - पी. सामल)	-		38700	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - बलविंदर कौर - गिरिजा शंकरे)	30000		40000	
सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (लीज किराया - अर्जुन छटवानी - विनीता कंवल)	41560		37800	
सेवा कर प्राधिकारी (अपील के विरुद्ध डिपॉजिट)	6116960	6305490	-	287452
4. अर्जित आय				
निवेशों / फिक्स डिपॉजिट रसीदों पर				
1. बीईई	35933500		33724582	
2. एस एंड एल	75856847	111790347	48735627	82460209
5. अन्य प्राप्ति				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (पीएटी)	816543		816543	
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (बीएलवाई)	735958		-	
आईटीडीसी लिमिटेड	-		21029	
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी लिमिटेड	-	1552501	4097	841669
6. पूर्वप्रदत्त व्यय				
पूर्वप्रदत्त व्यय (कम्प्यूटर)	52227		11030	
पूर्वप्रदत्त व्यय (परीक्षा - एनपीसी, चेन्नई)	588146		480641	
पूर्वप्रदत्त व्यय (इंटरनेट)	8875		-	
पूर्वप्रदत्त व्यय (रख रखाव - रख रखाव - फैंकिंग मशीन)	12707		12707	
पूर्वप्रदत्त व्यय (अशदान)	523		506	
पूर्वप्रदत्त व्यय (स्टार कार बीमा)	16485	678963	10983	515867
योग (11 बी)		120968596		95964182
योग (11 ए + बी)		1136760143		1001563347

अनुसूची-12 और 13

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा
बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से प्राप्त आय	(राशि – रूपए में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री की आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और संसाधन प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन तथा दलाली	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड) अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त अटल अनुदान तथा सब्सिडी)		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
कुल	-	-



अनुसूची-14 और 15

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा
बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 – फीस/अंशदान	(रुपियतों में)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश फीस	-	-
2. वार्षिक फीस (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणपत्र परीक्षा – 2013/14 वीं परीक्षा)	-	35445850
वार्षिक फीस (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणपत्र परीक्षा – 2014/15 वीं परीक्षा)	40585125	-
3. ऊर्जा ऑडिटर्स मान्यता फीस	194000	42000
योग	40779125	35487850

अनुसूची 15 – निवेश से आय (निवेश से आय। निर्धारित/दान निधियों का निधियों में अंतरण)	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी – कोरपस फंड)	42400000	42400001	-	-
ग) एफडीआर – (विजया बैंक – कोरपस फंड)	14216116	16442822	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
योग	56616116	58842823	-	-
निर्धारित/दान निधियों का निधियों में अंतरण	-	-		

अनुसूची-16 और 17

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा
बनने वाली अनुसूचियां

		(राशि – रुपये में)	
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय			
क) रायल्टी से आय		-	-
ख) प्रकाशनों से आय		-	-
योग		-	-
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज			
1. मीयादी जमाओं पर			
क) अनुसूचित बैंकों के साथ			
ब्याज आय – विजया बैंक	52670182	52670182	42717055
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-	-
ग) संस्थानों के साथ		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों के साथ			
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चेन्नई	23566		73589
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	114227		32300
प्राप्त ब्याज – विजया बैंक, दिल्ली	103576	241369	114935
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-	-
ग) डाकघर बचत खाते		-	-
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी / स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		-	254287
5. ग्रेचुटी फंड पर ब्याज		-	612452
योग		52911551	43804618



अनुसूची-18,19 और 20

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)

संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – अन्य आय	(संशुद्ध रूप में)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व की आस्तियां	-	-
ख) अनुदान से प्राप्त, या मुफ्त में प्राप्त आस्तियां	-	-
2. विविध प्राप्तियां	489035	69278
3. अन्य (वापिस लिखे गए विविध शेष)	347814	-
योग	836849	69278

अनुसूची 19 – बने हुए माल और अर्धनिर्मित माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) शेष माल		
- बना हुआ माल	-	-
- अर्धनिर्मित माल	-	-
ख) घटा : आरम्भिक माल	-	-
- बना हुआ माल	-	-
- अर्धनिर्मित माल	-	-
शुद्ध वृद्धि/कमी (ए – बी)	-	-

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष				पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) वेतन और मजदूरी	36456499	34937904	39192351	40181216		
ख) भत्ते और बोनस	4442309	4486927	4347111	4273592		
ग) ईपीएफ प्रभार	3870437	3864049	3499552	3503649		
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	111593	173698	108324	46219		
च) अन्य (पेंशन अंशदान)	144287	318431	221360	194851		
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों (ग्रेचुटी) पर व्यय	1030434	1062517	644535	32083		
ज) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों (अवकाश नकदीकरण) पर व्यय	918237	806644	2039	2039		
झ) स्टाफ कल्याण व्यय	1048343	984888	1206153	1205903		
योग	48022139	46635058	49221425	49439552		

**वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा
बनने वाली अनुसूचियां**

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
क) मरम्मत और रखरखाव	1504065	1547516	1614280	1607681
ख) वाहन चालन और रखरखाव	1054695	1546443	2157656	1461032
ग) पोस्टेज, टेलीफोन और संचार प्रसार	1548294	1344131	1059315	1082726
घ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	2110084	2293447	2371051	2111402
च) यात्रा एवं वाहन व्यय	3601294	1897423	4492936	4426982
छ) कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय	1936315	1916711	6704946	6625975
ज) ऑडिटर पारिश्रमिक	202220	183653	-	921684
झ) विधिक एवं प्रोफेशनल प्रसार	463366	294826	841738	204658
ञ) विज्ञापन और प्रचार	145155	145155	681415	681415
ट) आईपीईईसी को अंशदान	4409829	4409829	1823361	5751946
ड) आईईए को अंशदान	278979	278979	1004080	1004080
ड) पूर्वावधि व्यय	1749243	1749243	-	-
ढ) ऑफिस रखरखाव	4243386	4277462	3809571	3944487
त) बैंक प्रसार	1144	1144	540	540
योग (ए)	23248069	21885962	26560889	29824608

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)	(आई एंड ई)	(आर एंड पी)
परियोजना व्यय (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर प्रमाणपत्र परीक्षा	13979212	9352968	15800042	18978525
ऊर्जा ऑडिटर्स मान्यता	735000	735000	415400	415400
	14714212	10087968	16215442	19393925
अनुदान सहायता परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)				
11वीं योजना				
बीईई				
कृषि एवं म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट (एग्री. एंड म्यू. डीएसएम)	-	-	-	5990917
बचत लैम्प योजना (बीएलवाई – डीएसएम)	-	-	-	2726896
छोटे मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	-	-	3325104
मानक और लेबलिंग (एस एंड एल)	-	-	-	1606506
ईसी	-	-	-	-
वर्धित ऊर्जा दक्षता का राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)	-	3549417	-	131455380
	-	3549417	-	145104803
12वीं योजना				
बीईई				
मानक और लेबलिंग (एस एंड एल)	-	1420225	-	7071493
ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)	-	2612129	-	3592455
राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए)	-	74259449	-	217144431
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-	-	-	60000000
मानव संसाधन और विकास (एचआरडी)	-	10400000	-	-
कृषि एवं म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट (एग्री. एंड म्यू. डीएसएम)	-	2193036	-	44284653
म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट (म्यू. डीएसएम)	-	1220606	-	77120000
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	2722921	-	774026
डीआईएससीओएमएस का क्षमता वर्धन	-	34697290	-	-
ईसी	-	-	-	-
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	198513629	-	131715734
वर्धित ऊर्जा क्षमता राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)	-	56635599	-	-
बचत लैम्प योजना (बीएसएल)	-	10537237	-	-
सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट कार्यक्रम (एसईईपी)	-	9265502	-	-
ईएपी	-	-	-	-
बीईई-जीईएफ-डब्ल्यूबी-परियोजना	-	13653879	-	23267053
	-	418131502	-	564969845
परियोजना व्यय (अन्य)				
यूएनडीपी परियोजना	-	31363565	-	28917335
यूएनआईडीओ परियोजना	-	3886725	-	395798
मानक और लेबलिंग (एस एंड एल)	-	124388792	-	-
	-	159639082	-	29313133
योग (बी)	14714212	591407969	16215442	758781706
योग (ए + बी)	37962281	613293931	42776331	788606314



अनुसूची-22 और 23

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)

संस्थान का नाम – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा
बनने वाली अनुसूचियां

(राशि – रूपए में)		
अनुसूची 22 – अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	–	–
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	–	–
कुल	–	–

अनुसूची 23 – ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) स्थायी ऋणों पर	–	–
ख) अन्य ऋणों (बैंक प्रभारों सहित) पर	–	–
ग) अन्य	–	–
कुल	–	–

वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखाओं के भाग रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन परंपराएं

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली पर, अन्यथा निर्दिष्ट न किए जाने पर, तैयार किए जाते हैं।

2) सामान की सूची

सामान का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है (जांच परीक्षण उपकरण)।

3) निवेश

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4) स्थिर परिसंपत्तियां

क. स्थिर परिसंपत्तियों का वर्णन अधिग्रहण से संबंधित आगम भाड़े, शुल्कों और करों तथा आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है।

ख. गैर मौद्रिक अनुदानों (कोरपस फंड के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त स्थिर परिसंपत्तियों को वर्णित मूल्य पर, पूंजी आरक्षित में जमा दिखाते हुए पूंजीकृत किया जाता है।

ग. वस्तु के रूप में अनुदान वाली स्थिर परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट मूल्यह्रास घटाया जाता है और इसे वस्तु अनुदान हेतु पूंजी आरक्षित में से घटाया जाता है।

5) मूल्यह्रास

क. स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना अप्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दर के अनुसार लिखित मूल्य पर की जाती है।

ख. वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि / कमी के संबंध में, आनुपातिक आधार पर निम्न प्रकार से मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है:

180 दिनों तक अधिग्रहीत / प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर = छह माह के लिए मूल्यह्रास

180 दिनों से अधिक तक अधिग्रहीत / प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर = छह माह के लिए मूल्यह्रास

ग. रु. 5,000 / – या कम मूल्य की परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।



घ. मूल्यह्रास को स्थिर परिसंपत्तियों और स्थिर परिसंपत्ति वस्तु अनुदान में अलग किया जाता है। वस्तु अनुदान वाली स्थिर परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट मूल्यह्रास घटाया जाता है और इसे वस्तु अनुदान हेतु पूंजी आरक्षित में से घटाया जाता है।

6) अनुदानों एवं राजस्व हेतु लेखांकन

मानक एवं लेबलिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदानों और राजस्व का लेखांकन ब्याज आय को छोड़कर प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

7) सरकारी एवं अन्य अनुदान / सब्सिडियां

- क. परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के प्रति योगदान के रूप में सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षित माना जाता है।
- ख. स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त वस्तु अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों पर निर्दिष्ट निवल मूल्यह्रास सहित पूंजी आरक्षित में दर्शाया जाता है।
- ग. सरकारी एवं अन्य अनुदानों / सब्सिडी का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया जाता है।

8) विदेशी मुद्रा लेनदेन

- क. विदेशी मुद्रा में प्राप्त लेनदेन का लेखांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।
- ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा देयता स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित होने पर स्थिर परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, तथा अन्य मामलों में इसे राजस्व माना जाता है।

9) सेवानिवृत्ति लाभ

- क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।
- ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली है।

**वित्तीय विवरणियों का फॉर्म (गैर-लाभकारी संस्थान)
संस्थान का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखाओं के भाग रूप में अनुसूचियां**

अनुसूची 25 – लेखाओं पर टिप्पणियां

1) आकस्मिक देयताएं

सेवा कर के संबंध में रु. 8,15,59,473 / – की विवादित मांग:

सेवा कर विभाग ने सेवा कर आयुक्त (अधिनिर्णयन), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश सं. 93/एसटी/एसआरबी/2014 दिनांक 27 जुलाई 2014 के माध्यम से सेवा कर देयता के प्रति रु. 8,15,59,473 / – की मांग की है।

बीईई ने माननीय कस्टम्स एक्साइज एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर की है और संबंधित विभाग के पास रु. 61,16,960 / –, विवादित कुल सेवा कर का 7.5%, की राशि जमा करा दी है।

2) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का प्राप्ति मूल्य लेनदेन के साधारण दौर में, कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

3) कराधान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, आय पर कर में छूट में व्यवस्था है – “आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या तत्समय प्रचलित आय, लाभ और लाभ पर कर से संबंधित किसी भी अन्य अधिनियमन में किसी बात के निहित होते हुए भी –

क) ब्यूरो;

ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के गठन की तिथि से लेकर ब्यूरो की स्थापना की तिथि तक, प्राप्त अपनी आय, लाभों या फायदों के संबंध में किसी आयकर या अन्य किसी कर का भुगतान नहीं करेगा”।

उपरोक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की कोई कर योग्य आय नहीं है और, अतएव आयकर हेतु किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

4) विदेशी मुद्रा लेनदेन

ब्यूरो ने आईपीईईसी को वार्षिक अंशदान तथा परियोजनाओं हेतु विदेशी यात्रा व्यय पर विदेशी मुद्रा में व्यय किया है।



ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में “यूनिडो-जीईएफ-बीईई परियोजना” के अंतर्गत अनुदान के रूप में 18,99,985 अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं। इसमें से, 7,28,740 अमेरिकी डॉलर की शेष राशि हमारे बैंक यानी विजया बैंक के पास एक अलग विदेशी मुद्रा बैंक खाते में रखी है। तुलन पत्र की अंतिम तिथि को, 7,28,740 अमेरिकी डॉलर का मूल्य रु. 4,53,64,065 /- है। रु. 19,31,161 /- के विनिमय दर परिवर्तन का प्रभाव अनुसूची-3 में अन्य परिवर्धनों (चिन्हित फंड्स - अन्य) में “यूनिडो-जीईएफ-बीईई परियोजना” के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5) सेवानिवृत्ति लाभ

ब्यूरो ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्रेच्युटी हेतु रु. 10,30,434 /- तथा अवकाश नकदीकरण लाभ हेतु रु. 9,18,237 /- के चुकता प्रीमियम के प्रति व्यय दर्ज किया है। चूंकि बीईई एलआईसी (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के ग्रेच्युटी / अवकाश नकदीकरण का हिसाब रखता है, एलआईसी बीईई के कर्मचारियों का बीमांकिक मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुसार, 31/3/2015 को ग्रेच्युटी फंड तथा सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना का बीमांकिक मूल्य निम्न प्रकार से है:

i.	ग्रेच्युटी फंड	-	रु. 86,37,475 /-
ii.	सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना	-	रु. 77,73,123 /-

- 6) ब्यूरो ने विभिन्न योजना परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंकों में स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। अतएव, अप्रयुक्त निधियों पर मासिक औसत शेष के आधार पर गणना की गई ब्याज आय को संबंधित परियोजनाओं में प्राप्त ब्याज आय के तौर पर जमा किया गया है। संबंधित परियोजनाओं को जमा किए गए ब्याज में वर्ष के दौरान अप्रयुक्त निधियों पर ईईएसएल से ब्याज आय भी शामिल रही।
- 7) ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के अंतर्गत रु.87,10,99,278 /- (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) तथा वीसीएफईई के अंतर्गत रु. 36,57,48,303 /- (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) को चिन्हित निधि (अनुसूची-1) के अंतर्गत दर्शाया है। इसे विजया बैंक में अलग खातों में जमा किया गया है और अनुसूची-9 में दर्शाया गया है।
- 8) वर्ष के दौरान ब्यूरो द्वारा ईसी अधिनियम की धारा 14 के उपवाक्य (क), (ख) व (ग) के अंतर्गत मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से ब्याज सहित रु. 34,16,70,404 /- (अनुसूची-1) (पिछले वर्ष रु. 30,83,80,121 /-) की राशि प्राप्त की। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए लेबलिंग शुल्क को मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत मान्य किया।
- 9) 12वीं योजना हेतु प्रस्तावित मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्वीकृत किया गया। ईएफसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि योजना से संबंधित सभी व्यय योजना यानी “ऊर्जा संरक्षण निधि” में सृजित आय में से किए जायेंगे। तदनुसार, वर्ष के दौरान योजना के व्ययों को पूरा करने के लिए ऊर्जा संरक्षण निधि (अनुसूची-1) से रु. 15.00 करोड़ की राशि अनुसूची-3 में अंतरित की गई।

- 10) मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत रु. 58,23,730 /- (पिछले वर्ष रु. 45,50,880 /-) के परीक्षण जांच उपकरणों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तृतीय पक्ष (परीक्षण लैब्स) के पास हैं। वर्ष के दौरान ब्यूरो ने परीक्षण जांच के प्रयोजन से रु. 16,75,418 /- के परीक्षण जांच उपकरण खरीदे हैं और इन्हें स्टॉक में जोड़ दिया गया है। पुनश्च, ब्यूरो ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से स्टॉक में से रु. 4,02,568 /- के परीक्षण जांच उपकरणों का निपटान कर दिया है। परिसंपत्तियों के निपटान से प्राप्त बिक्री प्राप्तियों को परियोजना में जमा कर दिया गया है। रु. 58,23,730 /- का विवरण निम्न प्रकार से है:

आरंभिक स्टॉक	रु. 45,50,880 /-
जोड़ें: खरीद	रु. 16,75,418 /-
घटाएं: बिक्री (स्क्रेप)	रु. 4,02,568 /- (वसूल राशि रु. 1,71,348 /- तथा हानि रु. 2,31,220 /-)
समापन स्टॉक	रु. 58,23,730 /-

31 / 3 / 2015 को परीक्षण जांच उपकरणों का उत्पाद वार विवरण निम्न प्रकार से है:

i. रेफ्रिजरेटर्स	रु.15,42,413 /-
ii. एयर कंडीशनर्स	रु.24,18,374 /-
iii. वाटर हीटर्स	रु.3,88,371 /-
iv. पंप सेट	रु. 9,42,341 /-
v. इंडक्शन मोटर्स	रु.3,58,682 /-
vi. टेलीविजन	रु. 1,52,912 /-
vii. ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप	रु. 20,637 /-
कुल	रु.58,23,730 /-

- 11) अप्रयोज्य वस्तुओं में रु. 97,644 /- के उपकरण (डब्ल्यूडीवी) शामिल किए गए हैं जिन पर वर्ष के दौरान कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है।
- 12) वर्ष के दौरान "विविध लेनदारी" पिछले वर्ष में रु. 1,09,65,714 /- की तुलना में बढ़कर रु. 7,91,83,124 /- हो गई। यह मुख्यतः व्यय न किए गए अनुदान एवं उस पर ब्याज की वापसी हेतु विद्युत मंत्रालय को देय रु. 4,52,03,488 /- तथा एसडीए को रु. 2,35,60,000 /- के देय अनुदानों की राशियों के कारण है।



13) वर्ष के दौरान विभिन्न पार्टियों को भुगतान न किए गए चेकों हेतु रु. 3,47,814/- की राशि वापस लिखी गई है जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया थे और पार्टियों ने जिनका दावा नहीं किया था। उक्त राशि को अनुसूची-18 – अन्य आय के अंतर्गत “अन्य (वापस लिखा गया विविध शेष)” के तौर पर दर्शाया गया है।

14) बीईई सितंबर 2010 से “एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का वित्तीयन” (बीईई-जीईएफ-विश्व बैंक परियोजना) – परियोजना का निष्पादन कर रहा है। परियोजना के समापन की तिथि मूलतः 31 दिसंबर 2014 निर्धारित की गई थी। दिसंबर 2014 में, विश्व बैंक ने (क) परियोजना परिणाम ढांचे को परियोजना गतिविधियों से पुनः संगठित करने, (ख) परियोजना बचतों को पुनः आवंटित करने, (ग) बजट को पुनर्गठित करने तथा (घ) 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2016 तक दो वर्षों के लिए समय विस्तार के लिए परियोजना का पुनर्गठन किया है।

31 मार्च 2015 तक बीईई द्वारा रु.6.54 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय की गई रु. 1.63 करोड़ की राशि शामिल है।

15) बोली प्रोसेसिंग शुल्क और आरटीआई शुल्क को अनुसूची-18-अन्य आय के अंतर्गत “विविध सेवाओं हेतु शुल्क” के तौर पर दर्शाया गया है।

16) वर्ष के दौरान ब्यूरो ने निम्नलिखित व्ययों को दर्ज किया है जो पिछले वर्ष से संबंधित (पूर्व अवधि व्यय) हैं:

i. कार्यालय रखरखाव	–	रु. 99,652 / –
ii. व्यावसायिक प्रभार	–	रु. 24,000 / –
iii. यात्रा व्यय	–	रु. 13,323 / –
iv. वाहन चालन और किराया प्रभार	–	रु. 1,90,978 / –
v. कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	रु. 14,21,290 / –
योग	–	रु. 17,49,243 / –

17) पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

18) अनुसूची 1 से 25 तक 31 मार्च 2015 के अनुसार तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखे से संबंधित और उसका अभिन्न अंग हैं।

4

प्रशासन

- 4.1 शिकायत निवारण
- 4.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण
- 4.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 4.4 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग
- 4.5 सतर्कता
- 4.6 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण



4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अलग से कोई शिकायत निवारण कक्ष नहीं है। शिकायतें यदि, कोई हों, का निवारण बीईई के प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2014-15, कोई भी शिकायत के मामले नहीं थे।

सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2014-15 के दौरान, बीईई को आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए 62 आवेदन प्राप्त हुए थे और तय समय-सीमा के भीतर इन सभी का उत्तर दिया/अंतरण कर दिया गया था।

इसी अवधि के दौरान, अपीलीय प्राधिकरण को 04 अपील भी प्राप्त हुई थी जिन्हें तय समय सीमा के भीतर निपटाया गया।

4.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया जा रहा है :-

बीईई

समूह	31/3/2015 के अनुसार कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अजा	अजा %	अजजा	अजजा %	अपवि	अपवि %
क	09	-	-	-	-	-	-
ख	02	-	-	-	-	-	-
ग	07	-	-	-	-	-	-
घ	--	-	-	-	-	-	-
कुल	18	-	-	-	-	-	-

एनएमईईई

समूह	31/3/2015 के अनुसार कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अनु.जति	अनु.जाति:	अनु.ज.ज	अनु.ज.ज %	अन्य पिछड़े. वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग %
क	06	01	16.66%	-	-	01	16.66%
ख	01	-	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-	-
घ	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
कुल	08	01	12.5%	-	-	01	12.5%

4.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया जा रहा है :-

बीईई

समूह	31/3/2015 के अनुसार कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व									
		मुस्लिम	मुस्लिम %	ईसाई	ईसाई %	सिख	सिख %	बौद्ध	बौद्ध %	पारसी	पारसी %
क	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

एनएमईईई

समूह	31/3/2015 के अनुसार कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व									
		मुस्लिम	मुस्लिम %	ईसाई	ईसाई %	सिख	सिख %	बौद्ध	बौद्ध %	पारसी	पारसी %
क	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4 राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन हेतु, प्रति वर्ष सितंबर माह में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

बीईई में 12 से 26 सितंबर 2014 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़ा के दौरान, छह प्रतियोगिताएं नामतः हिंदी में निबंध प्रतियोगिता, हिंदी में टिप्पणी और मसौदा लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन, चतुर्थ श्रेणी हेतु हिंदी डिक्टेशन तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया, प्रतियोगिताओं के विजेताओं को छह पुरस्कार यानी प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार तथा तीन सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में महानिदेशक, बीईई द्वारा प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।



31 दिसंबर 2014 को 25 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता के साथ 2 घंटे के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। गहन ज्ञान एवं अनुभवों वाले विशेषज्ञ अतिथि वक्ता ने न केवल अपने विचारों और ज्ञान को साझा किया अपितु राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपना दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने में प्रतिभागियों को होने वाली समस्याओं के समाधान में भी मदद की। कार्यशाला में प्रतिभागिता से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिली। कार्यशाला में प्रतिभागिता के बाद कर्मचारियों ने यूनिकोड के माध्यम से फाइलों में हिंदी में टिप्पणी टाइप करना आरंभ कर दिया। 'क' व 'ख' क्षेत्रों को हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या हर तिमाही में बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक, बीईई की अध्यक्षता में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

4.5 सतर्कता

वर्ष 2014-15 के दौरान, कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

4.6 दिव्यांगों का कल्याण

शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है :

बीईई

समूह	31/3/2015 के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	09	-	-	-	-	-
ख	02	-	-	-	-	-
ग	07	-	-	01	-	14.28%
घ	--	-	-	-	-	-
कुल	18	-	-	01	-	5.55%

एनएमईईई

समूह	31/3/2015 के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	06	-	-	-	-	-
ख	01	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-
घ	--	-	-	-	-	-
कुल	08	-	-	-	-	-







ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

फोन: +91-11-26179699 (5 लाइन), फैक्स: +91-11-26178352

www.beeindia.in